राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : **4**	**सोलहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का नवां दिवस**	**संख्या : 5**

मंगलवार,
09 सितम्बर 2025

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)
तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्षः प्रश्नकाल। श्री सुभाष मील।

ग्राम पंचायत रोयल (खंडेला) में यूरेनियम खनन से प्रभावितों का पुनर्वास

74. श्री सुभाष मील (खंडेला): क्या खान एवं पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खंडेला की ग्राम पंचायत रोयल में यूरेनियम खनन का कार्य संचालित है? यदि हां, तो उक्त खनन से प्रभावित ग्राम पंचायत रोयल तथा आस-पास की अन्य ग्राम पंचायतों के ग्रामवासियों के पुनर्वास हेतु खनिज कंपनी अथवा सरकार द्वारा क्या प्रावधान किये जा रहे हैं एवं कहां व किस एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) के तहत किये जायेगें**?** यदि नहीं**,** तो क्यों?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): (1) जी नहीं, विधान सभा क्षेत्र खण्डेला की ग्राम पंचायत रोयल में खनिज यूरेनियम का खनन कार्य संचालित नहीं है।

वर्तमान में Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (AMD), Department of Atomic Energy (DAE), भारत सरकार द्वारा खनिज यूरेनियम की विस्तृत खोज (Exploratory Mining) का कार्य यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.(UCIL), भारत सरकार के उपक्रम से करवाया जा रहा है जिसमें मौके पर DECLINE व उससे संबंधित कार्य प्रगतिरत है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा सीकर जिले की तहसील खण्डेला में UCIL के पक्ष में खनिज यूरेनियम एवं एसोसिएटेड मिनरल्स, क्षेत्र 1086.46 हैक्टेयर के खनन पट्टा आवंटन हेतु मंशा पत्र (Letter of Intent-LoI) दिनांक 23.06.2022 को जारी किया गया है।

उपरोक्त मंशा पत्र क्षेत्र में निजी भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के प्रावधानों के तहत प्रक्रियाधीन है। उक्त प्रावधानों के तहत ही UCIL द्वारा अधिग्रहण/पुनर्वास किया जाना प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सुभाष मील (खंडेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त माइनिंग कार्य से बहुत से गांव प्रभावित होंगे, बहुत से लोग प्रभावित होंगे। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पहला पूरक प्रश्न यह है कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिये इसमें क्या व्यवस्था की जायेगी और मेरी मांग भी है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस परियोजना में लगभग 3 हजार करोड़ का यू.सी.आई.एल. निवेश करेगी, जिसमें 1623 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और इसमें 80 परसेंट स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। स्कील्ड में जरूर हो सकता है कि पूरे भारत से लोग आये, बाकी ज्यादातर स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष रूप से 1623 रोजगार और हमारा मानना है कि कम से कम 10 गुना से ज्यादा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन इस क्षेत्र में होगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सुभाष मील (खंडेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त कंपनी को यूरेनियम से बहुत बड़े राजस्व की प्राप्ति होगी, तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सवाल है कि क्या इस कंपनी द्वारा स्थानीय क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा, पर्यावरण और पानी के क्षेत्र में व्यय किया जायेगा? यदि हां, तो किस तरह से व्यय किया जायेगा और इसके क्या मानदंड रहेंगे**?** क्योंकि जब लोग प्रभावित होंगे, तो इसके लिये काफी लोगों को इन चीजों की जरूरत पड़ेगी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खंडेला से आने वाले माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि उनकी बात वाजिब है, लेकिन मैं इस बात की ओर आपका ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहूंगा कि जो संस्थाएं यह कार्य देख रही हैं, यू.सी.आई.एल, ए.एम.डी. और थर्ड पार्टी के रूप में भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर भी उसमें योगदान दे रही है, यह ऐसी संस्थाएं हैं जो जहां भी कार्य करती हैं, उनका उल्लेखनीय कार्य रहा है। यू.सी.आई.एल. ने जहां भी कार्य किया है, उन्होंने सामाजिक दृष्टि को देखते हुए क्षेत्र का विकास और जो भी योजनाएं ला सकते हैं, जिससे क्षेत्र वासियों को लाभ मिले, इसका हमेशा इनका प्रयास रहा है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि यहां पर भी जो आपकी बात है, वह सारी कि सारी यू.सी.आई.एल. करेगी। वैसे इस परियोजना में अभी समय लगेगा। दो साल तो अभी उनको जमीन एक्वीजिशन में लगेगा और उसके बाद पांच साल इसके विकास में लगेगा। आपकी चिंता वाजिब है, लेकिन इन संस्थाओं का रिकार्ड ऐसा रहा है कि

उन्होंने शानदार ढंग से उल्लेखनीय कार्य किया है।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री बहादुर सिंह।

वैर मुख्यालय स्थित सफेद महल व प्रताप फुलवारी का सौंदर्यीकरण

75. श्री बहादुर सिंह (वैर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र वैर के मुख्यालय वैर स्थित सफेद महल, प्रताप फुलवारी एवं प्रताप नहर की मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण तथा उन्नयन कार्य करवाये जाने की परिवर्तित बजट वर्ष **2024-25** में की गई घोषणा अनुसार माह जुलाई, **2025** तक सरकार द्वारा उक्त कार्यों हेतु निविदा व कार्यादेश कब-कब जारी किये गये**?** विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त कार्यों में विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है**?** यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों**?** विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

पर्यटन मंत्री (सुश्री दिया कुमारी): (1) विधान सभा क्षेत्र वैर स्थित सफेद महल एवं प्रताप फुलवारी के पर्यटन विकास कार्यों के संबंध में कार्यकारी एजेंसी पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग को तथा प्रताप नहर-भरतपुर के पर्यटन विकास कार्यों के संबंध में कार्यकारी एजेंसी नगरपालिका, वैर को चयनित किया गया था।

वैर- भरतपुर के सफेद महल व प्रताप फुलवारी के पर्यटन विकास कार्य हेतु कार्यकारी एजेंसी- पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा डीपीआर तैयार करवाई गयी तथा डीपीआर के अनुसार कार्य करवाए जाने हेतु निविदा जारी कर माह मार्च, **2025** में निविदाएं प्राप्त की गईं। कार्यकारी एजेंसी द्वारा निविदादाता फर्म को दिनांक **4** सितम्बर, **2025** को राशि रुपये **425.16** लाख का कार्यादेश जारी कर दिया गया है। प्रति परिशिष्ट-अ संलग्न है।

प्रताप नहर-भरतपुर के पर्यटन विकास कार्यों के संबंध में कार्यकारी एजेंसी नगरपालिका, वैर द्वारा प्रस्तावित डीपीआर में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिसके उपरान्त तकनीकी स्वीकृति व निविदा की कार्यवाही की जावेगी।

(2) उक्त विकास कार्यों के क्रियान्वयन में अभी तक जो समय लगा है वह कार्यकारी एजेंसी के चयन, डीपीआर तैयार करने व उसके अनुमोदन एवं निविदा प्रक्रिया में लगने वाले समय के कारण हुआ है। अतः विलम्ब में किसी अधिकारी विशेष की कोई भूमिका नहीं है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री बहादुर सिंह (वैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने टी.एस. जारी कर दी। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र वैर में सफेद महल एवं प्रताप फुलवारी के पर्यटन विकास कार्यों के सम्बन्ध में कार्यादेश कब तक जारी हो जायेंगे एवं कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैर-भरतपुर के सफेद

महल व प्रताप फुलवारी के पर्यटन विकास कार्यों हेतु कार्यकारी एजेंसी पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा कार्यादेश दिनांक 4 सितम्बर, **2025** को जारी कर दिया गया है। उक्त कार्य सितम्बर, **2027** तक पूर्ण किया जायेगा एवं कार्यादेश के अंतर्गत वैर किला एवं सफेद महल की मरम्मत, टूटी पट्टियों की मरम्मत, महल के अन्दर कमरों की मरम्मत एवं चौक की मरम्मत का कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

प्रताप नहर के सन्दर्भ में नगर पालिका वैर द्वारा ड्राफ्ट डीपीआर तैयार की गई है, जिसके सन्दर्भ में निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग द्वारा निम्न सुझाव दिये गये हैं:-

गार निकासी के सम्बन्ध में समुचित निरीक्षण सत्यापन 30 केएलडी एस.टी.पी. का उचित ले आउट। प्रकाश समुचित विद्युतीकरण के सम्बन्ध में पुन: समीक्षा। बागवानी के लिये एक मुश्त चार दीवारी की समीक्षा। फुटपाथ लेयर की ओवर डिजाइन की समीक्षा। जीओ टेग टाइम हेतु मिट्टी डिजाइन का अध्ययन आदि। नगर पालिका के स्तर पर संशोधित डी.पी.आर. तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। डी.पी.आर. तैयार होने के उपरांत आवश्यक अनुमोदन व निविदा कार्यवाही उपरांत कार्यादेश जारी किये जा सकेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बहादुर सिंह (वैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रताप किला है उसी के चारों तरफ नहर है। माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि यह मेरे क्षेत्र में नहीं आती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि उसकी टी.एस. जारी नहीं हुई है, अभी माननीय मंत्री खर्रा जी नहीं है, यह उनके अंडर में आता है, यहां के चीफ इंजीनियर ने तीन महीने से टी.एस. को रोक रखा है। वह नगर पालिका से कहता है कि 5 परसेंट कमीशन दो तब टी.एस. निकालूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछो।

श्री बहादुर सिंह (वैर): इसमें चीफ इंजीनियर के खिलाफ कार्यवाही होगी या नहीं होगी और उसकी टी.एस. निकलेगी या नहीं निकलेगी?

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस नहर की एजेंसी नगर पालिका है, इसमें माननीय सदस्य जो भी बात कह रहे हैं, उसकी जांच करवा लेंगे और उसके बाद जो भी उचित कार्यवाही होगी, वह करेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: हो गया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ....(व्यवधान).... स्वायत्त शासन मंत्री जी से दिलवाओ, खर्रा जी बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न में नहीं है। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शोभा चौहान।

सोजत में चिकित्सालयों में मा वाउचर योजना के तहत सोनोग्राफी

76. श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत में विगत एक वर्ष में मा वाउचर योजना के तहत कितने चिकित्सालयों में कितनी गर्भवती महिलाओं की नि:शुल्क सोनोग्राफी की गई**?** चिकित्सालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र सोजत के जिला/उप जिला चिकित्सालय**,** प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नवीन सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध करवाने का विचार रखती है**?** यदि हां**,** तो कब तक व नहीं**,** तो क्यों**?** विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित चिकित्सालयों में सोनोग्राफी**,** एम.आर.आई. व सीटी स्केन मशीन उपलब्ध है**?** यदि नहीं**,** तो सरकार उक्त मशीनें कब तक उपलब्ध करवाने का विचार रखती है**?** विवरण सदन की मेज पर रखें।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के स्थान पर): **(1)** विधान सभा क्षेत्र सोजत पाली में मा वाउचर योजना के तहत दिनांक **17.09.2024** से **04.09.2025** तक **5** अधिकृत निजी सोनोग्राफी केन्द्रों पर **583** **(**परिशिष्ट अ पर संलग्न है) एवं जिला चिकित्सालय**,** सोजत में नि:शुल्क जांच योजना के तहत **1804** गर्भवती महिलाओं की नि:शुल्क सोनोग्राफी की गई।

(2) जी नहीं। मा वाउचर योजना के तहत राजकीय चिकित्सा संस्थानों में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध करवाने का प्रावधान नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सोजत में संचालित चिकित्सालयों में केवल जिला चिकित्सालय सोजत में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध है व क्रियाशील है**,** सीटी स्कैन मशीन पीपीपी मोड पर संचालित है एवं एमआरआई मशीन का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है व अन्य राजकीय संस्थानों जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उक्त मशीनों का प्रावधान नहीं है।

msk/rtm/09.09.25/1110/1b

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि हमारे सोजत जिला अस्पताल में रेडियोलॉजी, एक्स-रे, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी के 12 पद स्वीकृत हैं, जो सभी भर दिये गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री महोदय से यह पूरक प्रश्न करना चाहूंगी कि जिला अस्पताल, सोजत में एमआरआई मशीन के लिए दिनांक 31.01.2025 को ट्रोमा व एक्स-रे मशीन हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। यह कब तक स्वीकृत हो जायेगा? क्योंकि सोजत राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, यहां रोज 300 से 400 एक्स-रे होते हैं। दुर्घटना होने पर एमआरआई व इसके अतिरिक्त एक्स-रे मशीन अतिआवश्यक है।

श्री अध्यक्ष: कब तक हो जायेगा, यह आपने पूछ लिया ना। माननीय मंत्री जी।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी सुविधा में विस्तार के उद्देश्यों में बजट घोषणा 2024 में मा वाउचर योजना को सम्पूर्ण राज्य में लागू किया जाना प्रस्तावित था। इस क्रम में 17.09.2024 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवसों पर, जो कि प्रति माह 9, 18 एवं 27 तारीख को राज्य के प्रत्येक चिकित्सालय में मनाया जाता है, इसमें प्रसव पूर्व जांच हेतु आने वाली दूसरी एवं तीसरी तिमाही में गर्भवती माताओं को जहां राजकीय सोनोग्राफी जांच उपलब्ध नहीं है, वहां मा योजना में वाउचर या कूपन जारी किया जाता है। इस योजना के तहत लगभग 1363 निजी अधिकृत सोनोग्राफी केन्द्रों में क्यू-आर-कोड जनहित वाउचर के माध्यम से निःशुल्क सोनोग्राफी की जाती है, जिसका भुगतान सरकार द्वारा इन निजी केन्द्रों के बैंक खातों में सीधा दिया जाता है। इस कूपन की वैधता जारी दिनांक से 30 दिवस तक रहती है। यदि किसी कारणवश जारी कूपन को इस अवधि में नहीं लिया जा सकता तो वैधता अगले 30 दिन तक और बढ़ायी जा सकती है। इसलिए इनके 25 हजार प्रतिमाह, 2,56,764 कूपन जारी किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष: कब-कब किये, तारीख ही बता दें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, पढ़ा हुआ मान लीजिये।

श्री अध्यक्ष: यह आपका काम नहीं है।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): पढ़ा हुआ नहीं।

श्री अध्यक्ष: आप तो इधर उत्तर दें।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): आपको अगर आने वाले समय में सोनोग्राफी या एमआरआई मशीन की जरूरत होगी तो निश्चित रूप से विभाग कार्यवाही करेगा।

श्री अध्यक्ष: हो गया, माननीय सदस्य।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): धन्यवाद, माननीय मंत्री जी।

श्री अध्यक्ष: चलिए, अगला प्रश्न। श्री विक्रम सिंह जाखल।

नवलगढ़ मुख्यालय पर न्यायालय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की स्थापना

77. श्री विक्रम सिंह जाखल (नवलगढ़): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में दिनांक 01 जनवरी, 2024 के पश्चात् कहां-कहां पर किस-किस प्रकार के नवीन न्यायालय सृजित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र, नवलगढ के नवलगढ़ मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला न्यायालय सृजित करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें। सदन की मेज पर रखें ।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री (श्री जोगाराम पटेल): (1) प्रदेश में दिनांक 01 जनवरी, 2024 के पश्चात् स्थापित किये गये नवीन न्यायालयों का विवरण प्रदर्श-1 पर संलग्न है।

जिसके अनुसार जिला एवं सेशन न्यायालय 8 खोले गये हैं। विशिष्ट सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 8 खोले गये हैं। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय 9 खोले गये हैं। विशिष्ट सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 2 खोले गये हैं। सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट 2 खोले गये हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय, ये तो संलग्न हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ठीक है, संलग्न है तो मान लें।

(2) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ में अपर जिला न्यायालय की स्थापना का मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की माननीय कमेटी द्वारा लंबित प्रकरणों की संख्या को देखते हुए दिनांक 25.07.2023 को अस्वीकार कर दिया गया है।

भविष्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त होने पर, लंबित प्रकरणों की संख्या 1000-1200 प्रकरण होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर नवलगढ़ में अपर जिला न्यायालय की स्थापना करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री विक्रम सिंह जाखल (नवलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय ने 25.07.2023 को नवलगढ़ के अन्दर अपर न्यायालय खोलने का जो आदेश कमेटी ने निरस्त कर दिया। मेरा निवेदन यह है कि सबसे पहले तो मैं प्रदेश की संवदेनशील सरकार को और मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि प्रदेश में 15 कोर्ट आपने एडेजी के खुलवाये। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठे-बैठे मत बोलिये।

श्री विक्रम सिंह जाखल (नवलगढ़): अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे नवलगढ़ विधान सभा क्षेत्र से झुंझुनूं का कोर्ट 100 किलोमीटर पड़ता है। जनता को न्याय जल्दी मिले और न्याय के लिए किसी को आगे-पीछे नहीं होना पड़े। मेरा आपसे आग्रह है कि आने वाले टाइम में नवलगढ़ में कोर्ट खोला जाये। नवलगढ़ में पहले भी दस साल पर एडीजी कोर्ट चला था। यही मेरा आप सबसे आग्रह है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की यह पीड़ा सही है कि एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट का डिस्टेंस ज्यादा होने से हमारे पक्षकार और लिटीगेंट हैं, उनका आने-जाने में खर्चा भी होता है। लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा बहुत पूर्व में और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने कुछ नॉर्म्स तय किये हैं, जिनके अनुसार जो न्यायालय हैं, उसके लंबित प्रकरणों की संख्या देखी जाती है। इन लंबित प्रकरणों की संख्या को देखते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में सरकार का जो प्रस्ताव गया था, उसको अस्वीकार कर दिया है। फिर भी हम भविष्य में अभी वर्तमान प्रकरणों की संख्या, दो

न्यायालयों के बीच की दूरी और अन्य चीजों को देखते हुए इस पर गंभीरता से विचार करेंगे कि माननीय सदस्य की जो मांग है, उसको हम कितना जल्दी से जल्दी से पूरा कर सकें। इस पर गंभीरता से पूरा विचार करेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, मेरा तो माननीय संसदीय मंत्री जी से इतना-सा अनुरोध है कि पौने दो साल में जितने भी क्वेश्चन लगे हैं, सबका लिखित में सेम जवाब है और सेम ही जवाब सप्लीमेंट्री में है। एकाध तो खोल दो, पौने दो साल में एक भी नहीं खोल पाये हैं। एकाध की तो घोषणा कर दें। सदस्य उम्मीद के साथ लगाते हैं। आज घोषणा कर दें। बता दें कि पर्ची का इंतजार नहीं है, आप खोल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें। माननीय आपको कुछ कहना है? ...(व्यवधान)... बीच में बैठे-बैठे बोलेंगे तो मैं स्थगित कर दूंगा। यह क्या तमाशा है? दो बार मना करने के बाद भी बोल रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा। प्रतिपक्ष के नेता, जिससे अपेक्षा होती है, उसी से मांगा जाता है। इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आपने कहा कि एनेक्श्चर संलग्न है, इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम अभी तक 42 कोर्ट खोल चुके हैं। आपकी अपेक्षा के अनुसार.. ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: हो गया, माननीय सदस्य।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): संसदीय मंत्री जी ने अनुमति दी है।

श्री अध्यक्ष: वे अनुमति नहीं देते।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, आपसे अनुमति लेकर। आप तो बस यह बता दें कि आपकी घोषणा से कितने खुले हैं? यहां सदन में घोषणा करके कितने खोले हैं, यह बता दें।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मेरे यहां बर में खुल गया। एडीजी कोर्ट खुल गया, बर में चालू हो गया। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: क्या सदन स्थगित चाहते हैं? माननीय मंत्री जी, नो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह पूर्ववर्ती परंपराएं, जो बजट में बोला जाता है, माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा खोले जाते हैं, सरकार द्वारा खोले जाते हैं, वह सब हमारे विभाग का ही है। आपकी तरह नहीं है कि हम अलग घोषणा करें और मुख्य मंत्री अलग करे। जो कुछ भी करते हैं, हमारे मुख्य मंत्री जी करते हैं। इसकी हम पालना करते हैं।

प्रश्न संख्या 78

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। डा. ऋतु बनावत।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री अर्जुन लाल जीनगर।

कपासन के मातृकुण्डिया में स्वीकृत कार्य

79. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन के मातृकुण्डिया के विकास हेतु विगत पांच वर्षों में कितना-कितना बजट स्वीकृत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार मातृकुण्डिया में बनास नदी के किनारे बने मंगलेश्वर महादेव में हरिद्वार में गंगा आरती की भांति बनास नदी के घाट पर आरती करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

देवस्थान मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): (1) विधान सभा क्षेत्र कपासन के मातृकुण्डिया के विकास हेतु विगत पांच वर्षों में देवस्थान के राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी मंदिर श्री मंगलेश्वर महादेव मातृकुण्डिया में साधारण मरम्मत के लिये वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा संख्या 397/2023-24 के तहत मंदिर पर देवस्थान विभाग द्वारा राशि रु. 89329/- व्यय किये जाकर साधारण मरम्मत/रंग रोगन का कार्य करवाया गया।

पर्यटन विभाग द्वारा राज्य बजट 2023-24 घोषणा बिन्दु संख्या 126.01 की क्रियान्विति के क्रम में श्री मंगलेश्वर मंदिर, मातृकुण्डिया-चित्तौड़गढ़ में विकास कार्य हेतु राशि रु. 308.56 लाख का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है।

बजट 2025-26 घोषणा पैरा संख्या 37 अंतर्गत राज्य के आदिवासी बाहुल्य जिलों में स्थित ऐतिहासिक, धार्मिक तथा Eco-Tourism Sites - त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ धाम, बेणेश्वर धाम, सीतामाता अभयारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृकुण्डिया आदि को सम्मिलित करते हुए 100 करोड़ रुपये व्यय कर Tribal Tourist Circuit विकसित किये जाने की घोषणा की गई है।

(2) मातृकुण्डिया में बनास नदी के किनारे बने देवस्थान विभाग के राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी मंदिर श्री मंगलेश्वर महादेव में बनास नदी के घाट पर गंगा आरती के समान आरती करवाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कराया जा रहा है।

mdp/rtm/09.09.25/11:20/1c

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का और मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने 308.56 लाख रुपये स्वीकृत किये। उक्त राशि से कौन-कौनसे कार्य होने हैं, इसकी एक डिटेल तथा बजट सत्र 2025-26 में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में स्थित ऐतिहासिक, धार्मिक तथा Eco-Tourism Sites-त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ धाम, बेणेश्वर धाम, सीतामाता अभयारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृकुण्डिया के लिए 100 करोड़ रुपये की योजना जो आप लेकर आए हैं, इसमें कौन-कौनसे कार्य होने हैं? ये थोड़ी-सी जानकारी सदन के माध्यम से दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय

मुख्य मंत्री जी द्वारा राज्य बजट 2023-24 में जो घोषणा की गयी थी मातृकुण्डिया में मंगलेश्वर महादेव मन्दिर की, उसमें 308.56 लाख का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया था। जो कार्य अभी प्रगतिरत है। दिनांक 27/06/25 को सहायक निदेशक, चित्तौड़गढ़ द्वारा मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें बस स्टैंड यात्री निवास कार्य 20 प्रतिशत निर्माण हुआ है, बाउंड्री-वॉल निर्माण में 15 प्रतिशत का निर्माण कार्य हुआ है, हाई मास्ट लाइट कार्य में 90 परसेंट कार्य हुआ है और अन्य लाइट लगाने के लिए, पोल लगाने के लिए कार्य में 90 परसेंट का कार्य अभी हुआ है। यह कार्य प्रगतिरत है। आने वाले समय में 308.56 लाख का प्रोजेक्ट पूरा करेंगे।

दूसरा, आपने बताया कि जो बजट घोषणा है 2025-26 की पैरा संख्या 37 के अंतर्गत ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किये जाने की घोषणा की गयी है, जिसमें आदिवासी बाहुल्य जिलों के ऐतिहासिक, धार्मिक तीर्थ स्थलों त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ धाम, बेणेश्वर धाम, सीतामाता अभयारण्य, ऋषभदेव तीर्थ, गौतमेश्वर मंदिर, मातृकुण्डिया को विकास में शामिल किया गया है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट की डी.पी.आर. 52.92 करोड़ की लागत से डी.पी.आर. तैयार करवा दी गयी है। कार्यकारी विभाग धरोहर प्राधिकरण है। इसमें संशोधन अभी ले रहे हैं। आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास से सुझाव अनुसार आवश्यक संशोधन अभी भी शामिल करवाये जा रहे हैं। मातृकुण्डिया में आपके भी सुझाव यदि किसी तरह के हों तो विभाग को आप प्रेषित कर सकते हैं। आपके सुझाव को भी शामिल कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मैं आपसे यह चाह रहा था कि सीतामाता अभयारण्य और मातृकुण्डिया में करेंगे क्या? सुझाव हम दें तो किस विषय पर देवें**?** दूसरा, ये निवेदन कर रहा था कि मातृकुण्डिया, जो बनास नदी पर स्थिति है, जिसे मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है, हरिद्वार में हमेशा गंगा घाट पर आरती होती है, उसी तर्ज पर क्या बनास नदी जो वहां पर है, क्या मातृकुण्डिया की बनास नदी पर भी मंगलेश्वर महादेव मन्दिर के सामने वाले घाट पर प्रतिदिन बनास आरती करवाने का सरकार विचार रखती है?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मातृकुण्डिया में आपने जो मांग की है, मातृकुण्डिया में बनास नदी के किनारे स्थित देवस्थान विभाग के आत्म निर्भर श्रेणी मन्दिर श्री मंगलेश्वर महादेव में बनास नदी के घाट पर गंगा आरती के समान आरती करवाने हेतु आपका प्रस्ताव हमें मिला था। विभाग द्वारा उसका परीक्षण करवाया जा रहा है। परीक्षण उपरांत रिपोर्ट आने पर गुणावगुण के आधार पर आगामी समय में निर्णय लिया जायेगा।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। माननीय श्री शंकर लाल डेचा। आपके दो हो गये, अलग से मिल लेना। श्री शंकर लाल।

ओबेरी से छानी मगरी (सागवाड़ा) सड़क हेतु वन विभाग से अनापत्ति

80. श्री शंकरलाल डेचा (सागवाड़ा): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ओबरी से छानी मगरी सड़क कार्य वन विभाग से स्वीकृति नहीं मिलने के कारण लम्बित है? यदि हां, तो स्वीकृति कब तक मिल जाएगी?

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को क्षतिपूर्ति हेतु भूमि की स्वीकृति दे दी गई है तथा वन विभाग राजस्थान ने आवश्यक कार्यवाही हेतु स्वीकृति दे दी है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त सड़क हेतु वन मंत्रालय, भारत सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र कब तक प्राप्त कर लिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री संजय शर्मा): (1) जी हां। ओबरी से छानी मगरी सड़क का प्रस्ताव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 18.10.2024 को प्रस्ताव संख्या FR/RJ/ROAD/402551/2022 परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया था। राज्य सरकार द्वारा यह प्रस्ताव दिनांक 03.05.2025 को भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। भारत सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव में कुछ सूचनाएं दिनांक 10.05.2025 को चाही थी, जिसके जवाब हेतु प्रस्ताव यूजर एजेन्सी के पास दिनांक 13.05.2025 से लम्बित है। लम्बित अवधि 90 दिन से ज्यादा होने के कारण प्रस्ताव परिवेश पोर्टल पर डी-लिस्टेड हो गया है।

(2) जी हां। जिला कलेक्टर डूंगरपुर द्वारा वन विभाग को क्षतिपूर्ति भूमि उपलब्ध कराने हेतु गैर वन भूमि (NFL) को आरक्षित (Set-Apart) किया गया है। जिसकी प्रति परिशिष्ट - 01 पर संलग्न है। इस संबंध में वन विभाग द्वारा जिला कलेक्टर, डूंगरपुर द्वारा आरक्षित (Set-Apart) भूमि को वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त मानकर अनापत्ति दी जा चुकी है। जिसकी प्रति परिशिष्ट - 02 पर संलग्न है। वर्तमान में प्रकरण यूजर एजेन्सी के स्तर से प्रत्युत्तर के अभाव में परिवेश पोर्टल पर डी-लिस्टेड हो गया है। प्रस्ताव पुनः प्राप्त होने पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

श्री शंकरलाल डेचा (सागवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे इस क्वेश्चन का जवाब आया है, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिए। संतुष्ट होना अलग बात है।

श्री शंकरलाल डेचा (सागवाड़ा): मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रश्न संख्या 80 जो ओबरी से छानी मगरी बेड़सा धाम है।

श्री अध्यक्ष: उत्तर तो आने दीजिए। उत्तर आयेगा तभी तो आगे पूछेंगे या कह दीजिए।

श्री शंकरलाल डेचा (सागवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारी मांग बहुत ही लम्बे समय से है। जैसे बेणेश्वर धाम है, मानगढ़ धाम है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए।

श्री शंकरलाल डेचा (सागवाड़ा): वैसे ही यह छानी मगरी धाम है, आदिवासियों की आस्था का केन्द्र है। वहां साधु-संत, महिला और पुरुष भगवा धारण करके वहां जाते हैं और हजारों

की संख्या में वहां जाते हैं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए आप।

श्री शंकरलाल डेचा (सागवाड़ा): वहां जाने के लिए 35 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि अगर रोड होता तो साढ़े तीन किलोमीटर से चार किलोमीटर ही है। इस रोड को करना बहुत ही आवश्यक है।

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछिए।

श्री शंकरलाल डेचा (सागवाड़ा): मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है सदन के माध्यम से कि इस रोड का काम कब चालू होगा?

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा जैसा कि मैंने पहले बताया दिनांक 10/05/25 को निम्न टिप्पणी के साथ लौटाया गया था कि the proposal is not serving any public interest in general and cannot be justified. प्रस्ताव को पीडब्ल्यूडी को दिनांक 13/05/25 को भारत सरकार के द्वारा की गयी टिप्पणी के जवाब हेतु भेजा गया था। यूजर एजेंसी को, जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, अपने जवाब में जनहित में ये सड़क आवश्यक है, कारण सहित बताना था, परंतु 90 दिवस तक पीडब्ल्यूडी द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण वह प्रस्ताव डी-लिस्टेड हो गया। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यदि पीडब्ल्यूडी जनहित के लिए आवश्यक इस सड़क को सिद्ध करके जवाब देती है तो प्रस्ताव वापस लिस्टेड हो जायेगा तथा प्रस्ताव भारत सरकार को अनुमोदन केलिए भेजा जा सकता है।

श्री शंकरलाल डेचा (सागवाड़ा): वापस ये परिवेश पार्टल पर डी-लिस्टिंग कर दिया, विभाग को सूचना करके बहुत जल्दी आवश्यक कार्यवाही करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री सुरेश गुर्जर।

खानपुर में चोरी व डकैती के दर्ज प्रकरण

81. श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में विगत एक वर्ष में चोरी, नकबजनी, लूट व डकैती के कितने प्रकरण दर्ज हुए? उक्त दर्ज प्रकरणों में से कितनों में अपराधियों की गिरफ्तारी हुई तथा कितनों में अपराधियों से चोरी, लूट व डकैती माल की बरामदगी हुई? पुलिस थानावार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न थानों में उक्त अवधि में दर्ज चोरी, नकबजनी, लूट व डकैती के कई प्रकरणों का खुलासा लंबे समय से नहीं हो पाया है? यदि हां, तो लंबित प्रकरणों का थानावार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में विगत दो वर्षों में दर्ज प्रकरणों में से कितने प्रकरणों का खुलासा नहीं होने के कारण जांच बंद कर दी गई है? थानावार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, गृह (श्री जवाहरसिंह बेढ़म): (1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में विगत एक वर्ष में (दिनांक 01 अगस्त 2024 से 31 जुलाई 2025 तक) चोरी, लूट, नकबजनी व डकैती के कुल 112 मुकदमे दर्ज हुए। उक्त दर्ज प्रकरणों में से 29 प्रकरणों में 51 मुलजिमों की गिरफ्तारी हुई तथा 35 प्रकरणों में माल की बरामदगी की कार्यवाही हुई। उक्त दर्ज प्रकरणों का थानावार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में विगत एक वर्ष में (दिनांक 01 अगस्त 2024 से 31 जुलाई 2025 तक) चोरी, लूट, नकबजनी व डकैती के कुल 13 प्रकरणों का खुलासा लम्बे समय से नहीं होने के कारण लम्बित हैं। जिनका थानावार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में विगत दो वर्ष में (दिनांक 01 अगस्त 2023 से 31 जुलाई 2025 तक) चोरी, लूट, नकबजनी व डकैती के 126 प्रकरणों का खुलासा लम्बे समय तक नहीं होने के कारण जांच बंद कर दी गई है। जिनका विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मंत्री जी का जवाब मिल गया है।

अध्यक्ष जी, मेरा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूरक प्रश्न है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खानपुर में 7 थाने आते हैं, पिछले एक साल में चोरी, लूट, नकबजनी और डकैती के 112 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसमें से 29 मामलों में गिरफ्तारी हुई हैं, 35 मामलों में माल बरामदगी हुई हैं। पिछले दो सालों में 126 मुकदमों में एफ.आर. लगाकर बंद कर दी गयी। पुलिस उनका खुलासा नहीं कर पायी है। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी बताएंगे कि क्या पुलिस तंत्र की विफलता नहीं है? इतने कम मामलों के खुलासों के क्या कारण रहे? पेंडिंग मुकदमों में कब तक गिरफ्तारी होगी?

श्री अध्यक्षः विराजिए। माननीय मंत्री जी।

Ans/rtm 11.30 1d 09.09.2025

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष जी, खानपुर से आने वाले विधायक जी ने पूछा है कि पिछले दो वर्षों में 126 मामलों में एफआर लगा दी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जब प्रकरण दर्ज हुये, प्रकरण दर्ज होने के बाद हमारी पुलिस ने हर सम्भव प्रयास किये, लेकिन काफी तलाश के बाद भी, पूरी तफ्तीश के बाद भी जब उन मामलों का पता नहीं लग सका तो अदम पता में उसमें एफआर लगाई गई है। आपका कहना है कि इन मामलों का खुलासा कब तक हो पाएगा, या जो 12-13 और मामले हैं, उनके खुलासे के लिए क्या कार्यवाही की गई है। मैं आपके मध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारी जिला पुलिस ने वहां के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सुपरविजन में एक स्पेशल टीम का गठन किया है, जिसमें डिप्टी को शामिल किया गया है। संबंधित थाना अधिकारियों को और असूचना जो अधिकारी है उनको शामिल करके विशेष टीम अगस्त में घटित की है और पूरी कार्यवाही करने के बाद हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी खुलासा हो।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): माननीय मंत्री जी से मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है। अपने जवाब में मंत्री जी ने मुझे बताया, परिशिष्ट अ पर बिंदु संख्या 18 में एक भी मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं बताई और 5 लाख रुपये की बरामदगी दर्शाई। इसी तरह बिन्दु संख्या-8 में 20 हजार की बरामदगी दर्शाई। बिंदु संख्या-26 में 20 हजार की बरामदगी बताई। बिना गिरफ्तारी के यह कैसे बरामद किए? माननीय मंत्री जी बताएं।

श्री अध्यक्षः विराजो, विराजो। माननीय मंत्री जी।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष जी, मैंने परिशिष्ट अ पर जो सूचना दी है, खानपुर से आने वाले विधायक जी को उसका अध्ययन करना चाहिये था। जब कोई घटना होती है या चोरी हो जाती है तो कई बार पुलिस के दबाव के कारण अपराध करने वाला व्यक्ति माल छोड़कर भाग जाता है। माल छोड़कर जब भाग जाता है और पुलिस को सूचना मिलती है तो उसकी बरामदगी होती है, उसकी कीमत उसमें अंकित होती है। इन तीनों प्रकरणों में, आप जो पूछ रहे हैं, तीनों में ही निश्चित रूप से चोरी हुई, एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस ने पीछा किया, ट्रक को छोड़कर भागे, दोनों मोटर साइकिलों को छोड़कर भागे, पुलिस ने फरजब्ती बनाई है, मुलजिमान की तलाश जारी है।

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): माननीय मंत्री जी, चोरों से मिली भगत के कारण...

श्री अध्यक्षः दो हो गये।

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): उनको छोड़ दिया ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्षः यह विधान सभा का मुद्दा है। खानपुर में आपका क्या ...(व्यवधान)... प्रदेश का हो तो आप पूछो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, खानपुर में कैसे नहीं है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः नहीं, खानपुर का नहीं। प्रदेश का हो तो पूछ सकते हो। ...(व्यवधान)...प्रदेश का पूछ सकते हो। प्रदेश में आपको अनुमति है। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बात सुनिये। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः विधान सभा का है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): +++ बहुत इम्पोर्टेंट है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः विधान सभा सक्षम है ...(व्यवधान)... श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): +++ ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आपके क्षेत्र का नहीं है। खानपुर का है। खानपुर का वह पूछेंगे। ...(व्यवधान)... प्रदेश का पूछे। प्रदेश का आता है ...(व्यवधान)... नो, यह प्रदेश का है। श्री प्रताप सिंह।

सदन कूप में

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश एवं शोर-शराबा)

छबड़ा की क्षतिग्रस्त सम्पर्क सड़कें व पुलिया

82. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में वर्तमान में कौन-कौनसी सम्पर्क सड़कें व पुलिया जर्जर व क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलियाओं का कोई तकनीकी निरीक्षण या सर्वेक्षण कराया गया है? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री अध्यक्ष: आपका क्षेत्र ही नहीं है। आपका क्षेत्र नहीं है। आपका क्षेत्र नहीं है, खानपुर है। खानपुर का वह पूछेंगे। ...(व्यवधान)...

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (सुश्री दिया कुमारी): (1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में 59 सड़कें तथा 35 पुलियां क्षतिग्रस्त हैं। जिनमें से 14 सड़कों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र छबडा में निरीक्षण में 59 सड़कें व 35 पुलियाएं क्षतिग्रस्त पायी गई, जिनमें से 14 सड़कों हेतु राशि रुपये 187.00 करोड़ की स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा शेष 45 सड़कें व 35 पुलियाओं के मरम्मत के लिए अनुमानित राशि रुपये 69.45 करोड़ की आवश्यकता होगी। शेष कार्यों की स्वीकृति जारी करना कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): उत्तर प्राप्त हो गया। ...(व्यवधान)... मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा और उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरे यहां 59 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आपके क्षेत्र का नहीं है। यह खानपुर का है ...(व्यवधान)... पूरे प्रान्त का हो तो हक है ...(व्यवधान)...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): उनमें 14 सड़कों के लिये 187 करोड़ रूपये मंजूर किये हैं उसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: हर क्षेत्र में नहीं ...(व्यवधान)...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): शेष 45 सड़कें व 35 पुलियाओं के लिये पीडब्ल्यूडी खण्ड छबडा में 69.45 करोड़ की मांग की है, वह आप किस दिनांक तक स्वीकृत कर देंगे। ...(व्यवधान)... नम्बर दो, माननीय मंत्री महोदय, यह भी बताने की कृपा करें कि डीएलबी की सड़कें ...(व्यवधान)...

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी शोर-शराबा)

श्री अध्यक्ष: अपने-अपने स्थानों पर जाओ। ...(व्यवधान)... नो, नो। अपने अपने स्थानों

पर जाओ।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगी कि 69.45 करोड़ ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही 12.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 11.35 बजे 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

VPS-RTM-09.09.2025-12.00-1g

(समय:12.00 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: राम राम। राम राम।

सदन कूप में

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश, नारे एवं भारी व्यवधान)

आप सब अपनी-अपनी सीटों पर जाएं। अपनी-अपनी सीटों पर जाएं। सब से यह आग्रह है कि अपनी-अपनी सीटों पर जाओ। अपनी-अपनी सीटों पर जाओ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री जाकिर हुसैन गैसावत, सदस्य की ओर से प्रदेश में नगर निकाय चुनाव तथा परिसीमन के संबंध में।

2. श्री अमीन कागजी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में घटित हादसे के मृतकों एवं घायलों को मुआवजा देने तथा जर्जर भवनों को खाली नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

3. श्री गणेश घोगरा, सदस्य की ओर से झालावाड़ के पीपलोदी हादसे के मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में।

4. श्री अमित चाचाण, सदस्य की ओर से प्रदेश में नगरपालिका चेयरमैन एवं पंचायत समिति प्रधान को राजनैतिक द्वेषता से निलम्बित किये जाने के संबंध में।

आप सब अपनी-अपनी सीटों पर बैठो। आसन पाँवों पर है। यह आपके ही स्थगन है। आपके ही स्थगन है।

5. श्री रामनिवास गावडिया, सदस्य की ओर से प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में अनावश्यक विलम्ब होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

6. श्री ललित यादव, सदस्य की ओर से खैरथल तिजारा के जिला मुख्यालय एवं क्षेत्र के

विकास के संबंध में।

आप अपनी सीट पर बैठो। आपका ही पढ़ रहा हूं। यह आपके ही हैं।

7. कुमारी रीटा चौधरी, सदस्य की ओर से पंचायत समिति मण्डावा एवं अलसीसर में कार्मिकों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

8. श्री अर्जुनसिंह बामणीया, सदस्य की ओर से स्वायत्त शासन विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

9. श्रीमती अनीता जाटव, सदस्य की ओर से करौली एवं सवाईमाधोपुर जिले के कोरोना में मृतक पत्रकारों के आश्रितों को आर्थिक सहायता नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

10. श्री अनिल कुमार कटारा, सदस्य की ओर से झालावाड़ जिले में विद्यालय की छत गिरने से मृतक विद्यार्थियों के परिजनों को आर्थिक सहायता नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

11. श्री हाकम अली खां, सदस्य की ओर से प्रदेश में पंचायतीराज एवं निकाय क्षेत्रों के पुनर्गठन में अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

12. श्री विकास चौधरी, सदस्य की ओर से प्रदेश में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

13. श्री सोहन लाल नायक, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में घग्घर नदी में आई बाढ़ से 14 वर्षीय बालक की मृत्यु होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

14. श्री रतन देवासी, सदस्य की ओर से रानीवाड़ा-रामसीन राजमार्ग पर स्थानीय निवासियों को कोटड़ा एवं मुडतरा टोल टैक्स से मुक्त किये जाने के संबंध में।

15. श्री उमेश मीणा, सदस्य की ओर से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सेमलघाटी के कमरों की छत गिरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

16. श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से प्रदेश में पंचायतीराज एवं नगर निकायों के चुनाव एवं परिसीमन समय पर नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

17. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर), सदस्य की ओर से श्री राजेन्द्र विद्यालय प्रबन्धन समिति की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

18. श्री सुरेश गुर्जर, सदस्य की ओर से झालावाड़ जिला मुख्यालय पर विभिन्न मांगों को लेकर किसानों द्वारा किये जा रहे महापड़ाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

19. श्री ताराचन्द, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में चल रहे नकली खाद, बीज एवं कीटनाशक के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाये जाने के संबंध में।

मैं आपके ही पढ़ रहा हूं।

20. श्री गणेशराज बंसल, सदस्य की ओर से प्रदेश में उर्वरक निर्माताओं द्वारा रासायनिक उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद खरीदने की बाध्यता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

21. श्री शान्ती धारीवाल, सदस्य की ओर से कोटा नगर निगम क्षेत्र में अतिवृष्टि के बाद

उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

22. डॉ. सुभाष गर्ग, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में जलभराव की समस्या का स्थाई समाधान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

23. श्री अशोक कुमार कोठारी, सदस्य की ओर से राज्य में पशु मेला आयोजन हेतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना तथा गौ तस्करी पर रोक लगाने के संबंध में।

24. श्री सुरेश मोदी, सदस्य की ओर से नगर पालिका नीम का थाना के नवीन मास्टर प्लान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

25. डॉ. प्रियंका चौधरी, सदस्य की ओर से बाड़मेर चिकित्सा महाविद्यालय में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से सीटी स्कैन मशीन की निविदा प्रक्रिया में देरी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

26. श्री रविन्द्र सिंह भाटी, सदस्य की ओर से सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों की जर्जर स्थिति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

27. श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, सदस्य की ओर से आबकारी विभाग द्वारा किसानों से विगत 08 वर्ष के डोडा चूरे का हिसाब मांगे जाने संबंधी परिपत्र जारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

28. श्री घनश्याम, सदस्य की ओर से प्रदेश में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन, सीमांकन एवं चुनाव करवाये जाने के संबंध में।

29. श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में पंचायती राज एवं नगर निकायों के चुनाव समय पर नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

30. श्री मनीष यादव, सदस्य की ओर से मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत पशुपालकों को बकाया अनुदान का भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, श्री घनश्याम, श्री हरिमोहन शर्मा एवं श्री मनीष यादव को उनके प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे एवं भारी व्यवधान)

सदन की कार्यवाही 02.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 12.05 बजे 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

ssy/rtm/09.09.2025/14.00/2c

(समय: 14.00 बजे)
पुनः समवेत होने पर
(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश, नारे एवं भारी व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सब सदस्यों से अपील है कि अपने-अपने स्थानों पर बैठें। माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर बैठें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

मेरा सभी विपक्ष के सदस्यों से आग्रह है कि अपने-अपने स्थानों पर बैठें, नहीं तो मुझे कार्यवाही शुरू करनी पड़ेगी। सब अपने-अपने स्थानों पर बैठें। सब अपने-अपने स्थानों पर बैठें। सभी अपने-अपने स्थानों पर बैठें। सभी अपने-अपने स्थानों पर बैठें ताकि कार्यवाही शुरू कर सकें।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

क्या नहीं चलाना चाह रहे? तय करें। अपने सदस्यों को आग्रह करें कि बैठें, आप विपक्ष के नेता हो, नहीं तो मजबूरन सदन की कार्यवाही चलनी ही है। अपने स्थानों पर बैठें तो बात हो। अपने-अपने स्थानों पर बैठें तो बात हो। 2 घंटे तो स्थगित कर दी। डेढ़ घंटे स्थगित कर दी और क्या चाहते हो? संरक्षण तो तब होता है जब मर्यादाओं का पालन हो। अपनी सीटों पर जाओ।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 14.04 बजे 14.19 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

spp/rtm/09.09.2025/14.10/2d

(समय:14.19 बजे)
पुनः समवेत होने पर
(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: राम-राम साहब। क्या हुआ? जोगेश्वर जी कहां गये? ..(व्यवधान).. लोकतंत्र है। सदन की कार्यवाही शुरू करते हैं।

अधिसूचनाएं। श्री जोगाराम पटेल।

jyg/rtm/09.09.25/14.20/2e

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

राजस्व विभाग

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्व विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या:प.11(22)राज-6/2022/03 दिनांक 22.01.2025 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व संपरिवर्तन नियम, 2007 के नियम 8 में राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम-2024 प्रतिस्थापित किया गया है।

(2) अधिसूचना संख्या:प.9(13)राज-6/2021/05 दिनांक 21.02.2025 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत आबादी प्रयोजन हेतु आरक्षित भूमि को धारा 102ए की राज्य सरकार की शक्तियाँ समस्त जिला कलक्टरों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में 2 माह की अवधि के लिए प्रत्यायोजित की गई है।

(3) अधिसूचना संख्या:प.9(26)राज-6/2024/07 दिनांक 17.03.2025 जिसके द्वारा राजस्थान अक्षय उर्जा नियम 2007 के नियम 6(3) में पावर प्लांट / पावर पार्क के लिए भूमि आवंटन का प्रीमियम बाजार दर का दुगुना होगा और 30 साल की लीज पर दिया जाएगा। अगले 10 साल की लीज नवीनीकरण का प्रीमियम भी बाजार दर का दुगुना होगा, प्रतिस्थापित किया गया है।

(4) अधिसूचना संख्या:प.6(6)राज-6/92Pt./11 दिनांक 25.04.2025 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व संपरिवर्तन नियम, 2007 के नियम 4 में all companies के स्थान पर oil companies प्रतिस्थापित किया गया है।

(5) अधिसूचना संख्या:प.1(3)राज-6/2011/पार्ट-I/24 दिनांक 15.07.2025 जिसके द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 के तहत ग्रामीण क्षेत्र की दशा में निकटतम शहरी क्षेत्र सीमा से अवाप्ति हेतु प्रस्तावित परियोजना की दूरी के आधार पर देय प्रतिकर पैकेज के निर्धारण के संबंध में गुणक जारी किये गये है।

(6) अधिसूचना संख्या:प.11(15)राज-6/2025/26 दिनांक 13.08.2025 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि ऋणिता अवमुक्ति अधिनियम, 1957 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 18.12.2018 की निरंतरता में समस्त सिविल न्यायाधीश/अपर सिविल न्यायाधीश/वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालयों को अपनी क्षेत्राधिकारिता में ऋण अवमुक्ति न्यायालयों के रूप में स्थापित किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री झाबर सिंह खर्रा।

नगरीय विकास विभाग

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार नगरीय विकास विभाग की

निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्याः प.10(31)नविवि/3/1997 दिनांक 31.01.2025 जिसके द्वारा प्रतापगढ मास्टर प्लान - 2023 की समयावधि बढ़ायी गयी है।

(2) अधिसूचना संख्याः प.1(11)नविवि/बीकानेर/2025 दिनांक 20.03.2025 जिसके द्वारा बीकानेर शहर में सांखला फाटक रेलवे क्रासिंग के समीप रेलवे अण्डरपास के निर्माण हेतु भूमि अवाप्त किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानुसार अधिसूचना जारी की गई है।

(3) अधिसूचना संख्याः प.17(22)नविवि/नियम/2022 दिनांक 27.03.2025 जिसके द्वारा अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के समान द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों को भूमि आवंटन की गई है।

(4) अधिसूचना संख्याः प.3(50)नविवि/3/2012 दिनांक 27.03.2025 जिसके द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भूखण्डों का उप-विभाजन, पुर्नगठन एवं सुधार) नियम, 1975 के नियम 12 में संशोधन कर आवासीय/गैर आवासीय भूखण्डों के पुर्नगठन/उपविभाजन हेतु सीमा निर्धारित की गई है।

(5) अधिसूचना संख्याः प.1(6)नविवि/बीकानेर/2025 दिनांक 16.04.2025 जिसके द्वारा बीकानेर शहर में कोटगेट फाटक पर रेलवे अण्डरब्रिज निर्माण हेतु भूमि अवाप्त किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानुसार अधिसूचना जारी की गई है।

(6) अधिसूचना संख्याः प.1(62)नविवि/उदयपुर/2024 दिनांक 16.04.2025 जिसके द्वारा सेवाश्रम रेल्वे ऑवरब्रिज के पश्चिमी दिशा की तरफ सर्विस रोड निर्माण हेतु (अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) भूमि अवाप्ति के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।

(7) अधिसूचना संख्याः प.1(07)नविवि/भरतपुर/2025 दिनांक 16.04.2025 जिसके द्वारा भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 (6) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण करने हेतु सचिव, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर को अधिकृत किया गया है।

(8) अधिसूचना संख्याः प.2(09)नविवि/सीकर/2024 दिनांक 17.04.2025 जिसके द्वारा न्यास सीकर में अवाप्त भूमि 143825 वर्ग मीटर माप के खसरा नम्बरों का अर्जन किया गया है।

(9) अधिसूचना संख्याः प.2(02)नविवि/सीकर/2019 दिनांक 23.04.2025 जिसके

द्वारा न्यास सीकर हेतु कृषि भूमि को गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा प्रदान करने एवं भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के व्ययन पर देने के लिए सचिव, न्यास सीकर को प्राधिकृत किया गया है।

(10) अधिसूचना संख्याः प.10(201)नविवि/3/2010 दिनांक 24.04.2025 जिसके द्वारा पिलानी विद्या विहार मास्टर प्लान हेतु धारा 7 की अधिसूचना जारी की गई है।

(11) अधिसूचना संख्याः प.17(03)नविवि/नियम/2022 दिनांक 30.04.2025 जिसके द्वारा उदयपुर विकास प्राधिकरण (अनाधिकृत विकास की सीलिंग) नियम, 2025 के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।

(12) अधिसूचना संख्याः प.17(08)नविवि/नियम/2025 दिनांक 16.05.2025 जिसके द्वारा बालोतरा के नगर विकास न्यास के गठन के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।

(13) अधिसूचना संख्याः प.1(14)नविवि/उदयपुर/2024 दिनांक 28.05.2025 जिसके द्वारा उदयपुर विकास प्राधिकरण में 70 नवीन राजस्व ग्रामों को प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किया गया है।

(14) अधिसूचना संख्याः प.12(01)नविवि/चन्दपुरा(सीकर)/2025 दिनांक 30.05.2025 जिसके द्वारा राजस्व ग्राम चन्दपुरा स्थित खसरा नं. 1194/529 रकबा 15.1261 है व खसरा नं. 1193/529 रकबा 1.2000 है० कुल रकबा 16.3261 है0 किस्म गै.मु. चारागाह में आवासीय योजना विकसित किये जाने हेतु नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 32 (1) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की गई है।

(15) अधिसूचना संख्याः प.17(07)नविवि/नियम/2025 दिनांक 30.05.2025 जिसके द्वारा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट दौसा-बांदीकुई की अधिसूचना जारी की गई है।

(16) अधिसूचना संख्याः प.11(7)नविवि/आबूरोड/2024 दिनांक 02.06.2025 जिसके द्वारा आबूरोड़ (जिला-सिरोही) के क्षितिज वर्ष-2045 तक के लिए मास्टर प्लान तैयार करने हेतु दिनांक 16.07.2024 को जारी अधिसूचना को प्रत्याहरित किया गया है।

(17) अधिसूचना संख्याः प.17(11)नविवि/नियम/2025 दिनांक 06.06.2025 जिसके द्वारा बीकानेर विकास प्राधिकरण (अपीलीय अधिकरण) नियम-2025 हेतु अधिसूचना जारी की गई है।

(18) अधिसूचना संख्याः प.17(11)नविवि/नियम/2025 दिनांक 06.06.2025 जिसके द्वारा बीकानेर विकास प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण के गठन हेतु अधिसूचना जारी की गई है।

(19) अधिसूचना संख्याः प.17(19)नविवि/नियम/2024 दिनांक 06.06.2025 जिसके द्वारा कोटा विकास प्राधिकरण (अपीलीय अधिकरण) नियम-2025 हेतु अधिसूचना जारी की गई है।

(20) अधिसूचना संख्याः प.17(10)नविवि/नियम/2025 दिनांक 06.06.2025

जिसके द्वारा कोटा विकास प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण के गठन हेतु अधिसूचना जारी की गई है।

(21) अधिसूचना संख्या: प.17(3)नविवि/नियम/2022 दिनांक 10.06.2025 जिसके द्वारा उदयपुर विकास प्राधिकरण (अपीलीय अधिकरण) नियम-2025 हेतु अधिसूचना जारी की गई है।

(22) अधिसूचना संख्या: प.17(3)नविवि/नियम/2022 दिनांक 10.06.2025 जिसके द्वारा उदयपुर विकास प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण के गठन हेतु अधिसूचना जारी की गई है।

(23) अधिसूचना संख्या: प.3(1067)नविवि/3/2013 दिनांक 10.06.2025 जिसके द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण के गठन हेतु अधिसूचना जारी की गई है।

(24) अधिसूचना संख्या: प.17(19)नविवि/नियम/2024 दिनांक 10.06.2025 जिसके द्वारा भरतपुर विकास प्राधिकरण (अपीलीय अधिकरण) नियम-2025 अधिसूचना जारी की गई है।

(25) अधिसूचना संख्या: प.17(19)नविवि/नियम/2024 दिनांक 10.06.2025 जिसके द्वारा भरतपुर विकास प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण के गठन हेतु अधिसूचना जारी की गई है।

(26) अधिसूचना संख्या: प.2(02)नविवि/सीकर/2025 दिनांक 18.06.2025 जिसके द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 (6) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण करने हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास न्यास, सीकर को अधिकृत किया गया है।

(27) अधिसूचना संख्या: एफ.10(132)यूडीएच/3/2009पार्ट दिनांक 01.07.2025 जिसके द्वारा रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 46 के अनुसरण में, राज्य सरकार न्यायमूर्ति मदन गोपाल व्यास को राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण, जयपुर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये जाने के संबंध में।

(28) अधिसूचना संख्या: प.1(13)नविवि/भरतपुर/2025 दिनांक 11.07.2025 जिसके द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4(6) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण करने हेतु सचिव, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर को अधिकृत किया गया है।

(29) अधिसूचना संख्या: प.11(14)नविवि/टाउनशिप पॉलिसी-2024/2024 दिनांक 17.07.2025 जिसके द्वारा राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2024 के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।

(30) अधिसूचना संख्या: प.11(07)नविवि/बालोतरा/2025 दिनांक 22.07.2025 जिसके द्वारा बालोतरा मास्टर प्लान-2047 हेतु धारा 3(1) की अधिसूचना जारी की गई है।

(31) अधिसूचना संख्याः प.1(11)नविवि/बीकानेर/2025 दिनांक 24.07.2025 जिसके द्वारा बीकानेर शहर में सांखला फाटक रेलवे क्रासिंग के समीप रेलवे अण्डरपास के निर्माण हेतु भूमि अवाप्त किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) एवं राजस्थान नियम 16(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की गई है।

(32) अधिसूचना संख्याः प.1(6)नविवि/बीकानेर/2025 दिनांक 24.07.2025 जिसके द्वारा बीकानेर शहर में कोटगेट फाटक पर रेलवे अण्डरब्रिज निर्माण हेतु भूमि अवाप्त किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) एवं राजस्थान नियम 16(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की गई है।

(33) अधिसूचना संख्याः टीपीआर.1115/एमपी/सूरतगढ़/पार्ट दिनांक 25.07.2025 जिसके द्वारा सूरतगढ़ मास्टर प्लान-2047 हेतु धारा 3(1) की अधिसूचना जारी की गई है।

(34) अधिसूचना संख्याः प.3(50)नविवि/3/2012पार्ट दिनांक 28.07.2025 जिसके द्वारा न्यास बालोतरा/दौसा-बांदीकुई हेतु कृषि भूमि को गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा प्रदान करने एवं भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के व्ययन पर देने के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किये जाने की अधिसूचना जारी की गई है।

(35) अधिसूचना संख्याः टीपीआर.1120/जेजेड/नीमकाथाना दिनांक 01.08.2025 जिसके द्वारा नीमकाथाना मास्टर प्लान में पूर्व में जारी अधिसूचना की निरन्तरता में 7 नवीन राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए धारा 3 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की गई है।

(36) अधिसूचना संख्याः प.10(48)नविवि/3/2000 दिनांक 14.08.2025 जिसके द्वारा कुशलगढ़ मास्टर प्लान-2023 की समयावधि बढ़ाये जाने की अधिसूचना जारी की गई है।

(37) अधिसूचना संख्याः प.10(195)नविवि/3/2010 दिनांक 21.08.2025 जिसके द्वारा नदबई मास्टर प्लान-2031 हेतु धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना जारी की गई है।

(38) अधिसूचना संख्याः प.11(08)नविवि/बाप/2025 दिनांक 21.08.2025 जिसके द्वारा बाप जिला फलौदी मास्टर प्लान-2047 हेतु धारा 3(1) की अधिसूचना जारी की गई है।

(39) अधिसूचना संख्याः प.11(7)नविवि/2021 दिनांक 21.08.2025 जिसके द्वारा खाटूश्यामजी मास्टर प्लान-2041 हेतु धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना जारी की गई है।

(40) अधिसूचना संख्याः प.3(55)नविवि/3/2002 दिनांक 01.09.2025 जिसके द्वारा नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न सार्वजनिक / सामाजिक / धार्मिक / चैरिटेबल संस्थाओं अथवा ट्रस्ट, निजी निवेशकों आदि के द्वारा सार्वजनिक / सामाजिक सुविधाओं एवं विभिन्न संस्थागत उपयोगों यथा शैक्षणिक व चिकित्सा, उद्योगों, व्यवसायों, पर्यटन इकाइयों आदि

उपयोग हेतु रियायती दर पर भूमि आवंटन के संबंध में, पूर्व में जारी राजस्थान भूमि आवंटन नीति-2015 अधिसूचना दिनांक 26.09.2015 को अधिक्रमित किया गया है।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री श्रीचन्द कृपलानी।

समिति प्रतिवेदन

जन लेखा समिति के प्रतिवेदन (क्रम संख्या 1 से 10)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति, 2025-26 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

(1) भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2017-18 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या-6.1 से 6.7 तक के आबकारी विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का प्रथम प्रतिवेदन।

(2) भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 (राज्य वित्त) में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या-4.14 गृह विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का द्वितीय प्रतिवेदन।

(3) भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (अनुपालन लेखा परीक्षा) वर्ष 2020-21 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या-2.1 से 2.3 तक के वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का तृतीय प्रतिवेदन।

(4) भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2018-19 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या-2.1 से 2.3 तक के वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन।

(5) भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2019-20 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या-2.1 से 2.3 तक के वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का पंचम प्रतिवेदन।

(6) भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2020-21 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या-5.1 से 5.3 तक के राज्य आबकारी विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का षष्ठम प्रतिवेदन।

(7) भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2018-19 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या-6.1 से 6.3 तक के राज्य आबकारी विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का सप्तम प्रतिवेदन।

(8) भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2019-20 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 4.14 सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का अष्टम प्रतिवेदन।

(9) भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2019-20 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 4.14 जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर

समिति का नवम प्रतिवेदन।

(10) भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 (अनुपालन लेखा परीक्षा) में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या-7.5 खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का दशम् प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्षः श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल।

गृह तथा स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति के प्रतिवेदन (क्रम संख्या 3 से 12)

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार गृह तथा स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति, 2025-26 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

(1) स्थानीय निधि अंकेक्षण लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 के अनुच्छेद संख्या 1.3.1 से 9.6.2 एवं 1.1 से 9.7.1 कृषि विपणन बोर्ड से संबंधित मामलों पर समिति का तृतीय प्रतिवेदन।

(2) स्थानीय निधि अंकेक्षण लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 में समाविष्ट कृषि विपणन विभाग से संबंधित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.5.1, 9.5.2, 9.5.3, 9.5.4, 9.5.5, 9.6, 9.6.1, 9.6.2, 9.7 एवं 9.7.1) पर समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन।

(3) स्थानीय निधि अंकेक्षण लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के वर्ष 2016-17 में समाविष्ट पंचायतीराज के अनुच्छेद सं.2.5.1, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9, 2.5.10, 2.6, 2.6.1, 2.6.2, 3.1, 3.2, 3.3, 10.1 एवं 10.2 तक में समाविष्ट पंचायतीराज विभाग से संबंधित अनुच्छेद पर समिति का पंचम प्रतिवेदन।

(4) स्थानीय निधि अंकेक्षण लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 में समाविष्ट नगरीय विकास विभाग से संबंधित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 1.3.1,(3) से 10.2, (ज.वि.प्रा), 1.3.1 से 10.2.3, (अ.वि.प्र) 1.3.1 से 6.8.3 (जो.वि.प्रा). 1.3.1 से 7.6.2 (गंगानगर).1.3.1 से 7.6.2 (चित्तौडगढ). 1.3.1 से 7.6.2 (अलवर), 1.3.1 से 7.10.3. (उदयपुर), 1.3.1 से 7.6.2, (बीकानेर), 1.3.1 से 7.10.2 (कोटा), 1.3.1 से 7.6.2 (पाली), एवं 1.3.1 से 10.2.3 (रा.आ.म.) पर समिति का षष्टम प्रतिवेदन।

(5) स्थानीय निधि अंकेक्षण लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के वर्ष 2017-18 में समाविष्ट अनुच्छेद सख्या 1.3.1(3), 1.3.2(3), 1.3.3(3), 1.3.4(3), 7.6.1, 7.6.2, 7.9.1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.6, 6.6.1, 6.6.2, 6.7, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3, 6.7.4, 6.7.5, 6.8, 6.8.1, 6.9, 6.9.1, 6.10, 6.10.1, 6.11, 6.11.1, 10.1, 10.2, 1.3.1(3), 1.3.2 (3), 1.3.3 (3), 1.3.4 (3), 6.5.1 से 7.8.1 तक में समाविष्ट नगरीय विकास विभाग से संबंधित अनुच्छेद पर समिति का सप्तम प्रतिवेदन।

(6) स्थानीय निधि अंकेक्षण लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 में समाविष्ट

राजस्थान आवासन मण्डल से संबंधित अनुच्छेद संख्या (1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.6.1, 8.6.2, 8.7.1, 10.2.3) पर समिति का अष्टम प्रतिवेदन।

(7) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 में समाविष्ट ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज (पंचायती राज) अनुच्छेद संख्या 1.1 से 1.9.1, 1.11.1.1, 1.11.2, 1.11.3.1, 1.11.4, 1.11.5, 1.11.5.1, 1.11.5.2, 1.11.6, 1.11.7, 2.3 एवं 2.4 पर संवीक्षा टिप्पणी उपरांत विभागीय अनुपालना/टिप्पणी पर समिति का नवम प्रतिवेदन।

(8) स्थानीय निधि अंकेक्षण लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 में समाविष्ट ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज (पंचायतीराज) विभाग से संबंधित अनुच्छेद संख्या 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.5.1.2.5.2, 2.5.3.2.5.4, 2.5.5.2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9, 2.5.10., 2.5.11, 2.6, 2.6.1, 2.6.2, 3.1, 3.2, 3.3, 10.1, 10.2 पर समिति का दशम प्रतिवेदन।

(9) स्थानीय निधि अंकेक्षण लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 में समाविष्ट स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित अनुच्छेद संख्या 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.3.1 एवं 10.2 पर समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन।

(10) स्थानीय निधि अंकेक्षण लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 में समाविष्ट पंचायतीराज विभाग से संबंधित अनुच्छेद संख्या 1.1, 1.2, 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9. 2.1.10, 2.1.11, 3.1, 10.1 तथा 10.2 पर समिति का बारहवां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2025-26 के प्रतिवेदन (क्रम संख्या 1 एवं 2)

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2025-26 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

(1) राजस्व, स्वायत्त शासन, आयुर्वेद, उच्च शिक्षा, खान, गृह, पर्यटन, सिंचित क्षेत्र विकास, इन्दिरा गांधी नहर, नगरीय विकास एवं आवासन, पशुपालन, भू-जल, मंत्रिमण्डल सचिवालय, महिला एवं बाल विकास एवं शिक्षा विभाग से संबंधित समिति का प्रथम प्रतिवेदन; एवं

(2) आपदा प्रबंधन एवं सहायता, इंदिरा गांधी नहर, उद्योग, उपनिवेशन, कार्मिक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, खादी एवं ग्रामोद्योग, ग्रामीण विकास, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, देवस्थान, पर्यटन, पर्यावरण, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, परिवहन, मंत्रिमण्डल सचिवालय, महिला एवं बाल विकास, युवा मामले एवं खेल, वन, वित्त, विधि एवं विधिक कार्य, शिक्षा, सहकारिता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सामान्य प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण, सिंचित क्षेत्र विकास, श्रम, पशुपालन, शिक्षा, राजस्व, भू-जल, आबकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गृह,

उच्च शिक्षा, ऊर्जा, कृषि, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा, चिकित्सा शिक्षा, जनजाति क्षेत्रीय विकास, डेयरी, पंचायती राज एवं भू-संरक्षण विभाग से संबंधित समिति का द्वितीय प्रतिवेदन।

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश व नारे)

श्री अध्यक्ष: सब अपनी-अपनी सीटों पर विराजें।

याचिकाओं का उपस्थापन। श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

याचिका

आहोर की वेडिया और छागाड़ी ग्राम पंचायतों को सहायक अभियंता कार्यालय, आहोर में यथावत रखा जाना

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र आहोर के ग्राम पंचायत वेडिया और छागाड़ी को सहायक अभियंता कार्यालय, आहोर में यथावत रखने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: सभी विपक्ष के सदस्यों से आग्रह है कि वे अपनी-अपनी सीटों पर विराजें। ...(व्यवधान)... सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करें। अपनी सीटों पर विराजें।

श्री उदयलाल भडाणा। श्री उदयलाल भडाणा। उदयलाल जी बोलो। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, अपनी-अपनी सीटों पर विराजें।

प्रदेश में होने वाली सरकारी भर्तियों में एम बी सी वर्ग को आरक्षण

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार प्रदेश में होने वाली सरकारी भर्तियों में एम.बी.सी. वर्ग को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिये जाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर।

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025, श्री जवाहरसिंह बेढ़म। ...(व्यवधान)... एक सैकण्ड विराजो। कुछ कह रहे हैं।

अनुरोध एवं मांग

वर्तमान में जारी गतिरोध को आपसी सहमति पश्चात् समाप्त कर प्रतिपक्ष से सदन की कार्यवाही में सहयोग हेतु अनुरोध

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में जो गतिरोध की स्थिति आयी है, वो बहुत खेद का विषय है और सदन सुचारू रूप से चले यह सत्ता पक्ष भी चाहता है और मैं समझता हूं कि प्रतिपक्ष भी यही चाहता होगा। आपके चेम्बर में जो बातचीत हुई थी उसमें दो बातें तय हुई। नेता प्रतिपक्ष प्रश्नकाल के दौरान या अन्य भी जब भी कभी कुछ कहना चाहें तो आसन उनको अनुमति दे, ऐसा उनका आग्रह था। दूसरा, कल बिल पास करने के दौरान तृतीय चरण में जो कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते थे, उनको बोलने की अनुमति नहीं मिली, इसको लेकर उनकी नाराजगी थी। दोनों बातों पर

आपके सामने अच्छे से बात हुई, सहमति बनी, भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जायेगा। नेता प्रतिपक्ष को यथोचित सम्मान मिले इस बात की पूरी कोशिश आसन भी करेगा और सत्ता पक्ष भी करेगा। ये सब सहमति होने के बाद, इतनी सहमति नेताओं के सामने होने के बाद भी वो इस तरह से व्यवधान प्रकट कर रहे हैं तो इसका कोई औचित्य नहीं है, मैं एक बार फिर आपके माध्यम से अपील करता हूं, नेता प्रतिपक्ष से भी और सारे विपक्ष के विधायकों से भी कि सारे कृपया अपने स्थान पर पधारें और सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करें।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्षः मैं विपक्ष के सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि आप अपने स्थानों पर जायें और सदन चलाने में सहयोग करें।

श्री जवाहर सिंह बेढ़म।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्षः श्री घनश्याम। श्री घनश्याम। श्री शान्ती धारीवाल। श्री हाकिम अली। डॉ. सुभाष गर्ग। डॉ. सुभाष गर्ग।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 पेश हुआ है जिस पर चर्चा में आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, उसके सम्बन्ध में दो-तीन बातें मैं कहना चाहूंगा। ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कंवर्जन ऑफ रिलीजन ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः सुभाष जी, गर्ग साहब एक मिनट। ...(व्यवधान)... आप विराजो सीटों पर। ...(व्यवधान)... बोलिये। ...(व्यवधान)... शांति से, आपके नेता बोल रहे हैं।

अनुरोध एवं मांग

(1) प्रतिपक्ष को सदन की कार्यवाही में नियमानुकूल भाग लेने की अनुमति व

(2) सदन में लगे कैमरे प्रतिपक्ष पर केन्द्रित कर उनकी निजता हनन के प्रयासों पर रोक की मांग

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चूंकि गतिरोध बना और गतिरोध के बाद हम सब आपके चेम्बर में भी गये, वार्ता भी हुई। लेकिन आज जिस प्रकार की परिस्थिति बनी, मैं इस पूरे सदन के सामने यह कहना चाहूंगा कि अगर आपको टीकाराम जूली से प्रोब्लम है, आप भले ही मत बोलने दो, अगर आप नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने देते हैं, मेरा भी मान है, सम्मान है, मेरे मेम्बर हैं, कोई भी परम्पराओं से हटकर बात की हो, आसन की अवहेलना की हो, आसन के ही निर्देश हैं कि सब नहीं पूछेंगे, नेता प्रतिपक्ष

पूछ लेगा। हो सकता है इससे कुछ मंत्रियों को नाराजगी हो, क्योंकि मैं क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता हूं लेकिन आज मात्र दूसरा प्रश्न मैंने पूछा, आधा घण्टा हो चुका था, उसमें मुझे बोलने की परमिशन नहीं दी गयी। कल हमारे सदस्यों को किसी भी बिल के पारण के तीसरे चरण में बोलने की अनुमति नहीं दी गयी, वो हमारा सदस्यों का अधिकार है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और ये अधिकार हमारी विधान सभा ने हम सब लोगों को दिया है।

हम सब लोगों की जो निजता के हनन का जो मामला है, यहां हमारे ऊपर कैमरे लगाये गये हैं, कैमरे आपको लगाने हैं, पूरी विधान सभा में ऑलरेडी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ विपक्ष को टारगेट करके यहां कैमरे लगाये जाना और उनका पर्सनल उपयोग करना यह चीज गलत है। ये कैमरे कल आपने ही बताया, मैंने देखे, इधर वाले कैमरे भी हमारे ऊपर है।

श्री अध्यक्षः मैंने कुछ नहीं कहा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): उधर वाले कैमरे भी हमारे ऊपर हैं। सदन चलता है, सदन की प्रोपर्टी है।

श्री अध्यक्षः यह परम्परा हे, चेयर पर नहीं कहना। यह मैंने नहीं कहा। आपका विषय रखो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ये कैमरे किसकी परमिशन से लगे हैं, यदि ये लगाये हैं तो इनको भी यूट्यूब पर आप करो। इनको भी यूट्यूब पर जारी करो। यानी, हमारी एक-एक गतिविधि, हम क्या बात करते हैं, क्या बैठते हैं, क्या बात करते हैं, इस पर आप सब लोग नजर रखोगे? सदन नहीं चले, उस समय आप हम पर नजर रखोगे, यह चीज तो गलत है। यह हमारी विधान सभा की परम्परा नहीं है कभी भी। आप इस प्रकार से हमें चारों तरफ से घेरकर, आपका बहुमत है, आप बिल पास करवा सकते हैं, सारे बिल आप पास करवा सकते हैं, आपका राज है, लेकिन बिलों पर हमें नहीं बोलने दिया जाये, क्वेश्चन हमें नहीं पूछने दिया जाये, हमारे ऊपर कैमरे लगाये जायें। अध्यक्षजी, मैं पूछना चाहता हूं कि ये कैमरे किसकी परमिशन से से लगे हैं? क्या हम लोगों से बात करके लगाये गये हैं? किस फण्ड से लगे हैं ये कैमरे? ये सभी सदस्यों की, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब लोगों की निजता के हनन के अन्दर आता है, आपने पूरा यूट्यूब पर कर रखा है, सारी चीजें ऑलरेडी बाहर जा रही हैं, तो हम यहां बैठकर क्या बात करते हैं आप इस पर कण्ट्रोल करेंगे? यह मेरा आपसे निवेदन था, यह रिक्वेस्ट मैंने आपसे की थी।

MLS/RTM/09.09.2025/14:30/2f

मुझे आज इस चीज का बड़ा फील हुआ। मेरे सदस्यों को भी फील हुआ। हम सब लोग अपनी बात करने आपके चैम्बर में गये थे। आपने हम सबसे बात नहीं की। आपने कहा, पांच आदमी आएं। मैं कोई निर्णय नहीं कर रहा, ये मेरे सदन के साथी हैं सब। मेरी किसी भी बात में गलती हो तो आप बता दें। धन्यवाद।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन चलाने की

जिम्मेवारी सत्तापक्ष, विपक्ष और माननीय अध्यक्ष जी की है। मेरी जानकारी अनुसार और मेरे ज्ञान के अनुसार सत्तापक्ष पूरा प्रयास कर रहा है कि गतिरोध नहीं हो। मान लें, किसी कारण से छोटा-मोटा हो जाये तो उसका समाधान हो। हमारे किसी भी सदस्य ने कभी भी ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जिसकी वजह से कोई गतिरोध बने। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक आपका प्रश्न है, हमारी जानकारी के अनुसार जैसा हम देख रहे हैं, यह चौथा सत्र है, आप पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सदन चले, सभी माननीय सदस्यों की गरिमा बरकरार रहे, चाहे माननीय सदस्य हों या हमारे प्रतिपक्ष के नेता हों या हमारे सत्तापक्ष के सदस्य हों या हमारे विपक्ष के सदस्य हों, आप पूरा प्रयास करते हैं, फिर भी गतिरोध कभी-कभार कोई न कोई कारण से हो जाता है। उसका समाधान आज दिन तक होता आया है।

राजस्थान विधान सभा की बहुत बड़ी परम्पराएं रही हैं। इन परम्पराओं को हम सब मिलकर निभाएंगे, तभी यह राजस्थान की विधान सभा हमारे भारत की अनेक विधान सभाओं में से सर्वश्रेष्ठ थी, रहेगी। ऐसा मेरा मानना है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो कुछ भी आपके कैमरे लगाने के सम्बन्ध में कहा है, इसकी इनको जानकारी नहीं है और विधान सभा सचिवालय में कोई विधान सभा सचिवालय कार्यवाही करता है तो वह विधान सभा के अन्दर नहीं, आपके चेंबर में जाकर बातचीत की जा सकती है और उसका समाधान किया जा सकता है। जहां तक माननीय प्रतिपक्ष के नेता के बोलने का प्रश्न है, मेरा यह मानना है कि आपने मेरी जानकारी अनुसार तो पूरा अवसर इनको दिया है। अगर कभी-कभार कोई जैसे आज के विषय में कुछ हो जाता है तो हम सबको बैठकर इसका समाधान ढूंढना चाहिये और आज आपके साथ बैठकर समाधान ढूंढा है। मेरा यह मानना है कि हमारी विधान सभा की जो पुरानी परम्पराएं रही हैं, स्वस्थ परम्पराएं रही हैं, उनको निभाते हुए हम सब मिलकर सार्थक बहस करें, महत्त्वपूर्ण बिल है, उस पर बहस करें।

मेरा यह मानना है कि हम कोई नहीं चाहते हैं और आप भी नहीं चाहते हैं कि प्रतिपक्ष हो या प्रतिपक्ष का कोई माननीय सदस्य हो या प्रतिपक्ष के नेता हों या उनके किसी अधिकार का हनन हो। मेरी जानकारी में उनके अधिकार का हनन नहीं हुआ है और न ही होना चाहिये।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप विक्रमादित्य के आसन पर विराजमान हैं। सभी का आप पूरा ध्यान रखें। पहले भी रखा है और भविष्य में भी रखेंगे। पुरानी परम्पराओं के अनुसार यह विधान सभा चले, सभी का मान हो, सम्मान हो, आदर हो, थोड़ी बहुत हंसी-ठिठोली कभी हो जाती है, वह एक अलग विषय है, लेकिन मैं पुनः प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से, माननीय प्रतिपक्ष के नेता से अनुरोध करता हूं, विनम्र अनुरोध करता हूं, आइये, हम सब मिलकर राजस्थान की विधान सभा की स्वस्थ परम्पराओं को निभाएं, आगे बढ़ाएं, सार्थक बहस करें, सरकार को सुझाव दें। अगर आपको कोई कमी-खामी लगती है तो विधान सभा के पटल पर रखें और हम 8 करोड़ जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरें।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रतिपक्ष के सभी साथी आज इस विधान सभा की

कार्यवाही में भाग लेंगे। जो बिल अभी आने वाला है, जो पेश हुआ है, उस पर सार्थक बहस करेंगे। मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि आप विक्रमादित्य के आसन पर जैसे पूर्व से बिलकुल पारदर्शिता से, निष्पक्षता से आचरण करते आये हैं, वैसा ही निरन्तर करते रहें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में इस तरह के गतिरोध बनते रहे हैं और उसका एकमात्र जरिया संवाद होता था। पक्ष-प्रतिपक्ष आपके पास बैठकर उसका समाधान करते थे। मैं, मेरे साथी लोग, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपके साथ बैठे, चर्चा हुई। सवाल इस बात का है कि बिना आपकी अनुमति के इस सदन में कैमरे कैसे लगे। इस सदन में 200 माननीय विधायक बैठे हुए हैं। सत्तापक्ष कभी इधर है, कभी उधर है। पक्ष बदलते रहते हैं। सभी माननीय सदस्यों की निजता का ध्यान रखते हुए एक परम्परा यह डाली गयी कि इसमें कैमरे लगे हुए हैं और पुरानी परम्परा रही कि कैमरे रहे हैं। पिछली बार उसको यू-ट्यूब पर कर दिया। वहां तक तो ठीक है, लेकिन अलग से कैमरों की व्यवस्था करना या सभी माननीय सदस्यों की निजता का हनन करना, यह मैं समझता हूं कि परम्पराओं ही नहीं, बल्कि घोर आपत्तिजनक है।

संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि सचिवालय ने ही लगाया होगा। सचिवालय माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति बिना एक कील भी इधर से उधर नहीं कर सकता और यदि करता है तो यह घोर आपत्तिजनक है। यह सभी माननीय सदस्यों की निजता का सवाल है। हाउस जब ऑर्डर में होता है, तब अलग ढंग की बात होती है, पर जब हाउस ऑर्डर में नहीं होता है और कोई भी माननीय सदस्य अपने परिवार की बात कर रहा है या और किसी तरह की बातें कर रहा है, तब उन पर कैमरे लगाकर एक तरह से उन पर स्पाई छोड़ना, क्या यह संसदीय परम्पराओं में है? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केवल हमारा प्रश्न नहीं है। आज हम इधर बैठे हैं, कल इधर और कोई बैठेगा तो क्या हम इस परम्परा को स्थायी कर दें कि सबकी निजता का इसी तरह से हनन होता रहे और हम मूक दर्शक बनकर इसको देखते रहें?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसे हमारी स्वस्थ परम्पराओं में शामिल नहीं किया जा सकता। आप तत्काल व्यवस्था दें। कैमरों को तत्काल हटवाने की आप व्यवस्था करें, क्योंकि जब तक आप इस तरह की व्यवस्था नहीं करेंगे, सदन की निजता का हनन होता रहेगा। क्या हम इसलिए बैठे हुए हैं? यहां जो भी माननीय सदस्य बैठा हुआ है, वह अपने क्षेत्र का जन प्रतिनिधि है। हाउस जब ऑर्डर में होता है तो वह अपनी बात कहता है, लेकिन जब हाउस ऑर्डर में नहीं होता है तो आप भी इधर आकर बैठते हैं, हम भी आपकी तरफ आकर बैठते हैं। यदि सदन की निजता का इस तरह से हनन होगा और हम लोगों की आंखों के सामने उपहास के पात्र बनेंगे, क्या आपको यह अच्छा लगेगा कि हम कहीं कोई चर्चा करें और कहीं उपहास के पात्र बनें? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घोर आपत्तिजनक बात है और मैं सदन के सभी साथियों से यह निवेदन करना चाहूंगा और आपसे विशेष तौर

से निवेदन करना चाहूंगा, तत्काल व्यवस्था देकर इन कैमरों को आप हटाएं, क्योंकि यह कतई उचित नहीं कहा जा सकता और यह घोर आपत्तिजनक भी है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन चाहे चल रहा हो, चाहे स्थगित हो तब भी, यह इतना बड़ा हॉल है, यह किसी का चैम्बर नहीं है, यह किसी का बैडरूम नहीं है, यह किसी का बाथरूम नहीं है, इसमें निजता कहां से आ गयी? जो कुछ है, सार्वजनिक है। जो कुछ है, सब देख रहे हैं और इसलिए उसमें कुछ रिकॉर्ड होता है, उसमें निजता की बात करना गलत है। आप बात को मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं। ...(व्यवधान)... इसमें निजता की बात कहां से आ गयी? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: शान्ति रखें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): और ये कैमरे क्यों लगाने पड़े, उस पर भी विचार करिये। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठें अपनी सीटों पर। इसका जवाब मैं दूंगा। आप बैठिये। इसका जवाब मैं दूंगा।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चीफ व्हिप साहब का यह कहना कि यह बैडरूम नहीं है, हम सबको पता है। यह सम्माननीय सदन है, सम्मानित सदन है, राजस्थान की सर्वोच्च संस्था है और इस संस्था में भी हमारी निजता का हनन होता है। बजाय यह कहने के, आप हमारी बात को सपोर्ट करते, कल आप भी इधर बैठेंगे। ...(व्यवधान)... आज जब इधर बैठेंगे, तब आपकी निजता का हनन नहीं होगा? यह स्थायी नहीं है। न हम यहां पर स्थायी हैं, न आप यहां स्थायी हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप मर्यादा में रहें। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): निजता का हनन होता है। यह सर्वोच्च सदन है, फिर भी हमारी निजता का हनन होता है। ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है। घोर आपत्तिजनक है और मेरा व्यवस्था का प्रश्न भी है। आज तक इस सदन में निजता का हनन का जो चल रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अपनी सीटों पर जाइये। ...(व्यवधान)... सीटों पर जाइये। ...(व्यवधान)...

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश एवं नारे)

मुझे कहने का तो अधिकार है। व्यवस्था तो मैं दूंगा। व्यवस्था मैं दूंगा। आप तो अपनी सीटों पर जाएं। ...(व्यवधान)... कोई सदस्य कुछ भी कहेगा? ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है, कृपया आप विराजें। बात करेंगे, आप विराजें। अपन बात करेंगे, विराजें। कृपया विराजें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: फैसला तो मैं ही दूंगा। फैसला मैं दूंगा। आप सीटों पर जाएं। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): विराजें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप सीटों पर जाएं। फैसला तो मैं दूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): बात करेंगे। मैंने यही कहा कि बात करेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप सीटों पर जाइये। आप विराजें। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): एक मिनट विराजें। अभी बात करते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप सीटों पर जाएं। व्यवस्था तो मैं दूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): एक बार चलें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः व्यवस्था तो मैं दूंगा। मेरी व्यवस्था के बाद ही आप कुछ कहेंगे। पहले मेरी व्यवस्था के लिए जाइये।

Mkd/rtm/08.09.2025/1440/2g

व्यवस्था के लिए अपनी-अपनी जगहों पर जाइये। मुझे कार्यवाही शुरू करनी पड़ेगी। फिर, मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी। मैं आपसे एक बार फिर अपील कर रहा हूं, मैंने कोई व्यवस्था नहीं दी है। आप अपनी-अपनी सीटों पर जाइये। अपनी सीटों पर जाइये, पहले व्यवस्था सुनिये।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

मेरी व्यवस्था तो सुनोगे? मेरी व्यवस्था को तो सुनोगे? मेरी व्यवस्था नहीं सुनोगे तो किसकी सुनोगे? जाइये। कोई भी कहता है, व्यवस्था तो मैं दूंगा ना। आप चलो। व्यवस्था तो मैं दूंगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरा आप सबसे अनुरोध है, एक बार विराजें, व्यवस्था सुन लें। माननीय अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था नहीं हो जाए, तब तक व्यवधान डालना गलत है। माननीय अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था नहीं आई है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो बात की है, उस पर व्यवस्था आने दें। वह व्यवस्था आने दें।

श्री अध्यक्षः मेरी व्यवस्था नहीं आई है, जाइये। नहीं तो मैं नाम पुकारूंगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): एक बार विराजें, व्यवस्था आने दें।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025

श्री अध्यक्षः श्री घनश्याम।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप आसन को मजबूर नहीं करें। आप विराजें।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्षः श्री शान्ती धारीवाल।

श्री हाकिम अली।

श्री डॉ. सुभाष गर्ग।

श्री डूंगरराम गेदर।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

चलिये, सुभाष गर्ग बोलिये।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): सदन चलाइये। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है।

श्री अध्यक्ष: मैंने व्यवस्था ही नहीं दी है।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 पर अपने विचार रख रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, The Rajasthan Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Bill, 2025. मेरा एक मत है, इस बिल को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था तो अभी तक अध्यक्ष ने दी नहीं, पहले से ही शुरू हो गये, इसका मतलब आप चलाना नहीं चाहते? ...व्यवधान..

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, बिल लाये आप कोई भी चीज जबर्दस्ती बिना इच्छा के जोर जबर्दस्ती की जाए, वह गलत है, चाहे वह किसी का भी मामला हो। लेकिन, इसके दो सेक्शन, सेक्शन 5 और सेक्शन 6, इसकी स्टडी करें। सेक्शन 5 में जो पनिशमेंट का प्रोविजन किया है।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: चलने दो, क्या दिक्कत है? नहीं तो करो।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): आप गुजरात जाइये, एम पी जाइये, छतीसगढ़ जाइये।

श्री अध्यक्ष: वह व्यवस्था थोड़े ही है? व्यवस्था तो मैं दूंगा।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): कर्नाटक जाइये, हिमाचल प्रदेश जाइये। सारे राज्यों के बिल की स्टडी कर लीजिये। उन सभी राज्यों में भी बिल 2021 में ही आये हैं। भारत सरकार भी 2019 में बिल लेकर आई थी। उसके बाद उसमें भी संशोधन किये गये थे तो भारत सरकार के बिल में भी इतने पनिशमेंट का प्रावधान नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसको आप, मैं सीधे बड़ा आरोप लगा रहा हूं, इससे करप्शन बढ़ेगा, नम्बर वन। पुलिस की मौज होगी। क्या कारण है कि भारत सरकार ने फाइन कम रखा। आप इम्प्रिजमेंट तीन साल से लेकर बीस साल और बीस साल में भी डबल इम्प्रिजमेंट, आप आखिरकार रोकना चाहते हैं, सबकी मंशा है यह रुके, कंवर्जन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है? पुलिस की कार्यवाहियों को बढ़ावा देना।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

जिस तरह से दूसरे अधिनियमों का दुरुपयोग होता है, आपको मालूम है। किस तरह से

माफिया उन एक्ट का, प्रोविजंस का दुरुपयोग करते हैं। उसी तरह से इस कंवर्जन का, रिलीजन कंवर्जन एक्ट के प्रावधानों के आधार पर करप्शन को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि, कई में नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं और बहुत सारे प्रावधान इसमें दिये हैं तो पुलिस की मर्सी चलेगी और पुलिस की मर्सी चलने पर आप सब जानते हैं कि किस तरह से उन एक्ट का उल्लंघन होता है।

श्री अध्यक्षः हो गया, माननीय सदस्य।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): मैंने यूपी का भी देखा है और उसमें आप एमपी का भी स्टडी कर लीजिये, छत्तीसगढ़ का भी स्टडी कर लीजिये। जहां आपकी भी सरकार है, विपक्ष की भी सरकार है। वहां कहीं भी जो प्रोविजंस हैं, पनिशमेंट के इतने कड़े नहीं किये गये हैं, जो इस बिल में किये गये हैं। (समय समाप्ति सूचक घंटी) उससे सीधा निश्चित रूप से करप्शन बढ़ेगा, यह मेरा आरोप है।

दूसरा मैं यह कहना चाहूंगा कि कई धर्म ऐसे हैं, जैन धर्म है। अब जैन धर्म में ज्यादातर लोग हिन्दू ही हैं।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): अब उन्होंने अपनी एक मैथोलॉजी चैंज कर ली और जैन धर्म को अपना लिया। अब आपके हिसाब तो वे अब तक जैन धर्म वाले लोग भी हैं, उन्हें भी उस प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मेरी चर्चा हो रही थी, जो नोटिस लगाने, तीस दिन का नोटिस का इसमें दिया है, कलक्टर से प्रायर परमिशन, सूचना तीस दिन के अन्दर देनी पड़ेगी, तीन महीने के अन्दर वह करना पड़ेगा। आपको मालूम है, वह बाबू नोटिस लगाने के 500 रुपये रोज लेता है।

श्री अध्यक्षः हो गया। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): यह मैं आपको बता रहा हूं तो इसमें क्यों नहीं यह प्रोविजन कर दिया जाए कि केवल अख़बार में विज्ञापन दे दिया जाए। उस तीन दिन के अन्दर अख़बार के आधार पर आब्जेक्शन आता है तो बात सही है।

श्री अध्यक्षः बैठिये। बैठिये, श्री डूंगरराम गेदर।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): लेकिन उसके लिए नोटिस लगायेगा।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्षः बैठिये, माननीय डॉ. सुभाष गर्ग। श्री डूंगरराम गेदर। माननीय बैठिये, हो गया। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री टीकाराम जूली।

श्री थावर चन्द, बोलिये। नहीं हो गया आपका, मैंने तीन बार घंटी बजा दी।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): सर, फिर बुलवाने की क्या जरूरत है? वैसे ही पास कर दो,

झंझट खत्म करो, साहब।

श्री अध्यक्षः पांच मिनट हो गये।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री थावर चन्द (धरियावद): मैं थावर चन्द डामोर, एक आदिवासी हूं। मैं ना हिन्दू हूं, ना ईसाई हूं, ना मुसलमान हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आदिवासी हूं। मेरे पूर्वज अनादिकाल से भारत भूमि की मिट्टी में उपजे हैं। मैं अरावली पर्वत माला का मूल बीज हूं। मैं बाहर से आया हुआ स्टेपी डीएनए नहीं हूं। भील आदिवासी और गौंड आदिवासी, दोनों ही इन वर्ण व्यवस्थाओं में नहीं आते हैं, वर्ण व्यवस्थाओं से बाहर हैं। इतिहास गवाह है कि भील आदिवासी राजपूतों से पहले धरती पर शासन करते थे। जब हमारे पूर्वज राजा थे। हम किसी भी वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं थे।

मैं सदन के माध्यम से सरकार और पूरे प्रदेश को अवगत कराना चाहता हूं कि आदिवासियों का अपना स्वतंत्र धर्म कोड और संस्कृति है, जो किसी वर्ण व्यवस्था में बंधी हुई नहीं है। हम धर्म पूर्वी हैं।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

सन 1931 की जनगणना और आदिवासियों का एक स्वतंत्र धर्म कोड कॉलम था और ट्राइबल रिलीजन था। परन्तु, उसके बाद में हमारे धर्म कॉलम कोड को खत्म कर दिया गया। यही सबसे बड़ी ऐतिहासिक गलती रही कि हमारा धर्म कॉलम कोड नहीं रहा तो जो आदिवासी, जिनके अन्दर शिक्षा की कमी थी, जो आर्थिक रूप से तंगी में थे, धीरे-धीरे जब धर्म कोड खत्म कर दिया गया तो किधर भी शामिल होते गये।

सच यह है कि जो आदिवासी ईसाई बने हैं, वे हिन्दू धर्म से धर्मान्तरित नहीं हुए हैं, बल्कि ये ट्राइबल रिलीजन से ईसाई बने हैं। इसलिए, अगर उनकी घर वापसी होती है तो वे हिन्दू धर्म में नहीं, बल्कि ट्राइबल रिलीजन में होनी चाहिए।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

वर्ष 1971 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, उसमें स्पष्ट कहा गया कि आदिवासी हिन्दू नहीं है, क्योंकि आदिवासी वर्ण व्यवस्था से बाहर हैं। तो सवाल यह उठता है कि जब ना तो वर्ण व्यवस्था में आते हैं, ना किसी जाति के ढांचे में आते हैं, ना किसी के बंधे हुए हैं, तो जबरन हमें हिन्दू कहकर क्यों परिभाषित किया जा रहा है।

आज भी राजस्थान की आठवीं क्लास की किताब है, सामाजिक विज्ञान की किताब में साफ-साफ लिखा गया है कि आदिवासियों के धार्मिक विश्वास अन्य धर्मों से भिन्न हैं। उसी किताब के अन्दर लिखा हुआ है कि प्रकृति से जुड़े आत्मीय आत्माओं से पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध, ईसाई आदि धर्मों व सात वैष्णव आदि पंथों में विभाजित हुए।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

यह भी कहना चाहूंगा, मेरा स्पष्ट है, कहना यही है, यदि सरकार धर्मान्तरण रोकना चाहती है तो सबसे पहले आदिवासियों को उनका छीना हुआ धर्म कॉलम कोड मिलना चाहिए। हमारी ट्राइबल की जनता को स्वतंत्र धर्म कॉलम कोड वापस चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकारें धर्म कॉलम कोड लाने से पहले जनगणना कॉलम हम आदिवासियों का सेपरेट दे। जो आदिवासी ईसाई में गये, जो आदिवासी मुस्लिम में गये, जो आदिवासी सिख में गये, उनको पुनः लाया जाये और यदि वे ईसाई में जाते हैं तो उनका धर्मान्तरण हो रहा है, यदि वे हिन्दू में आते हैं, तब भी उनका धर्मान्तरण हो रहा है।

Bhs/Rtm/09.09.25/14.50/2h

सबसे बड़ी बात यह है कि जब वोट चाहिये तो आदिवासी हिन्दू, जब मंदिरों के अन्दर से दलित आदिवासियों को बाहर निकाला जाता है नीची जाति का समझ कर तब कोई नहीं। जब झालावाड़ के अन्दर घटना हुई थी तो दस लाख का मुआवजा तब आदिवासी हिन्दू नहीं। जब शंकर मेघवाल की हत्या होती है, जब दलितों के साथ अन्य अत्याचार होते हैं तब हिन्दू नहीं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, विराजो। श्री जय कृष्ण पटेल। श्री बालक नाथ। श्री मुकेश भाकर। श्री मनोज कुमार (सादुलपुर)। श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): 'यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।।' गीता में लिखा है...।

श्री अध्यक्षः आप सबसे आग्रह है अपनी-अपनी सीटों पर जाइये।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): ...जब-जब धर्म को मिटाने की बात होगी, जब-जब अधर्म अपने पाँव पसारेगा तो श्रीकृष्ण ने कहा है मैं अवतार लूंगा और उस अधर्म के नाश के लिए आगे आऊंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, कि मैं उस कुल से आता हूं जिन्होंने इस धर्म की रक्षा के लिए हमेशा अपने प्राणों की आहुति दी है। हमारा देश जो एक मजबूत देश है पर कई पॉलिटिकल स्वार्थी पार्टियां, कई विदेशी ताकतें जो इस देश को तोड़ना चाहती है, धर्म के माध्यम से, पैसों के माध्यम से भोलीभाली जनता को गुमराह करके सामूहिक धर्म परिवर्तन जैसी घटनाओं को कारित कर रही हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्म एक निजी आस्था का विषय है। धर्म तो अन्दर बैठे भगवान तक जाने का रास्ता है, यह श्रीमद भागवत गीता कहती है। पूरी दुनिया का धर्म एक ही हो सकता है, वह है मानव धर्म और धर्म कभी अलग हो ही नहीं सकता पर धर्म के नाम पर अपने-अपने मत व पंथ को, अपने सम्प्रदाय को बड़ा बताने के चक्कर में आपसी टकराव जो खड़ा किया जा रहा है, मेरा निवेदन है इस सदन के माध्यम से कि धर्मान्तरण विरोधी कानून की आवश्यकता है इस देश को, इस प्रदेश को। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस बिल को पास किया जाये। साथ ही साथ इस बिल के माध्यम से तमाम जो बेकसूर लोग हैं उनकी राजनीतिक कारणों से प्रताड़ना नहीं होनी चाहिये यह भी हमारी जिम्मेदारी है। मेरा

निवेदन है कि इस तरीके के जो धर्मान्तरण करने वाले जो लोग हैं जो दूषित मानसिकता रखने वाले लोग हैं, संस्थागत रूप से जो यह कार्य कर रहे हैं उनको किसी भी सूरत में बख्शने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आदिवासी समाज की बात चल रही थी। सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध हमारे आदिवासी लोग, वो भोलेभाले लोग उनका फायदा उठाया जा रहा है, उनका धर्मान्तरण करवाया जा रहा है उन तमाम चीजों पर लगाम लगाने के लिए यह कानून बहुत ज्यादा जरूरी है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा सीमान्त क्षेत्र में हमेशा सौहार्द रहा है, भाईचारा रहा है परन्तु कुछ लोग जो गांधी और नेहरू का नाम लेते हैं पर साथ ही साथ सब समाजों और धर्मों के बीच में आग लगाने का काम भी करते हैं। मैं इन्टरनेशनल बॉर्डर से आता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं कि उस क्षेत्र में चाहे विभाजन का समय रहा, कभी उस क्षेत्र में दंगें नहीं हुए। पंजाब में, बंगाल में लाशों से भर-भर कर ट्रेनें आई, खून की नदियां बही, राष्ट्रपिता गांधी जी को भी प्रभावित क्षेत्रों में जाना पड़ा पर इस मारवाड़ में, इस बीकानेर में, इस राजस्थान में धर्म और जाति के नाम पर कभी कोई दंगा नहीं हुआ।

मैं सदन को बताते हुए गौरवशाली महसूस करता हूं कि आजादी के अस्सी साल बाद भी बाड़मेर, जैसलमेर इलाके में हिन्दू-मुस्लिम के नाम पर कभी दंगा नहीं हुआ। इसका क्या कारण था कि सैकड़ों सालों से आपसी समझ, साझा संस्कृति, पंच-पंचायती का सिस्टम लेकिन अब हमारे इलाके की सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परम्परा को तुच्छ राजनीतिक स्वार्थों के कारण इस परम्परा की बलि चढ़ा रहे हैं, वोट के छोटे लालच के कारण कभी हिन्दू-मुस्लिम के नाम पर, कभी जाट, राजपूत के नाम पर, कभी-कभी अन्य-अन्य वर्गों के नाम पर समाजों में जहर घोलने का काम हो रहा है। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं उस इलाके से आता हूं जहां स्वर्गीय जसवन्त सिंह जी ने, तन सिंह जी ने, गंगाराम जी ने, वृद्धिचंद जी जैन ने, हादी साहब ने राजनीति की पर कभी जाति और धर्म के नाम पर नहीं बांटा। आज मुझे अटल जी की वो लाइनें याद आती हैं, उन्होंने कहा था सरकारें आयेगी, सरकारें जायेगी पर यह देश रहना चाहिये।

श्री अध्यक्षः विराजें।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, बस मैं मेरी बात खतम कर रहा हूं। इस मौके पर रामदेवजी को याद करूंगा जिन्होंने सबको साथ में लिया, धारू मेघजी को याद करूंगा, उन तमाम पीर-फकीरों को याद करूंगा, जिनके नाम के आगे जनमानस ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः श्री छगन सिंह राजपुरोहित।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरितर्वन प्रतिषेध विधेयक, 2025 जो आ रहा है, इसका प्रतिपक्ष के लोग जो विरोध कर रहे हैं इनका असली उद्देश्य यही है कि सदन में इस बिल पर चर्चा नहीं हो, इसी

कारण से मात्र इनका कोई विषय नहीं है, इनका कोई आधार नहीं है लेकिन इस बिल को, यह पास हो, लेकिन इसमें अपनी चर्चा करना नहीं चाहते क्योंकि इनके मन में हमेशा धर्म के प्रति कुठाराघात रहा है, धर्म के प्रति इनके धर्म में है ही नहीं, इनके अन्दर भाव ही नहीं है और यह सब समझते हैं, हम सब समझते हैं कि इस बिल पर आप चर्चा नहीं करना चाहते थे तो सुबह से इस विषय को लेकर आप इसलिये खाली एक छोटे से विषय को लेकर आपने पूरे दिन सदन को बाधित करने का काम किया है। आप चाहते ही नहीं है कि सदन में अच्छी चर्चा हो, यह मुझे लगता है कि जिन्होंने भी जिस भी क्षेत्र से आप आते हैं, उन्होंने आपको चुन कर सदन में भेजा है यह बहुत बड़ा उन्होंने गलत काम किया है, मैं उन सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को चुन कर सदन में नहीं भेजें। संविधान सभी धर्मों को मानने की पालना करता है, सभी धर्मों को पालन करने की छूट भी देता है।

श्री अध्यक्षः विराजें। आपकी बात हो गई। श्री श्रीचन्द कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 पर बोलने का आपने मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस बिल पर चर्चा हो रही है, आज पूरा देश देख रहा है और राजस्थान की साढ़े आठ करोड़ जनता भी इस बात को देख रही है और इन कांग्रेस वालों को भी देख रही है, हमेशा धर्म विरुद्ध कार्य इन्होंने किये हैं और आज जब एक ऐसा बिल राजस्थान की सरकार और हमारे मुख्य मंत्री जी लाये हैं जिसका पूरे राजस्थान की जनता स्वागत कर रही है, धन्यवाद दे रही है, आप भी तालियां बजा कर एक बार मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दो इस बात का। जिस बात की चिन्ता धार्मिक स्वतंत्रता की गारन्टी देने वाला बिल जो आज राजस्थान की सरकार ला रही है, निश्चित रूप से इस बात को ईमानदारी से अगर हम सोचें तो हमने इस बात को देखा कि हमारे देश में जब कानून बना था और राजस्थान के अलावा कई राज्यों में इस तरह का कानून बनाया गया अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो राजस्थान में भी यह कानून पहले आ सकता था लेकिन मैं इन पर आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के कई नेता हमेशा धर्म विरोधी रहे हैं, धर्म के खिलाफ रहे हैं और इनके कई नेताओं ने तो जो यह कहते हैं न लव जिहाद, लव जिहाद करके शादियां की हुई हैं।

कांग्रेस के राज में जिस तरह की घटनाएं हुई वो किसी से छिपी हुई नहीं हैं। आज यह बिल जो आ रहा है यह बिल हमको, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा सीधे-सादे लोगों को, आदिवासियों को, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को, गरीबों को, असत्य प्रलोभन के आधार पर चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, जो इनके मौलवी हैं जो विदेश से फन्डिंग लेते हैं, चाहे ईसाई मिशनरी हों, उन मिशनरियों ने जिस तरह हमारे देश में लगातार धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया और जिस तरह आज बिना मां-बाप की आज्ञा के बच्चियां अपना घर छोड़ कर जा रही हैं उसको रोकने के लिए आज राजस्थान की सरकार प्रयास कर रही है। मैं

धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री जी को, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से सम्बन्धित देश के विभिन्न राज्यों में जो बिल हुआ, उसको इसमें करने का का प्रयास किया।

Kas/rtm/09.09.2025/15.00/2j

अध्यक्ष महोदय, यह विधर्मी गलत भावना, गलत सूचना, बल, प्रलोभन, सोशल मीडिया, अन्य साधनों द्वारा ....(व्यवधान).... झांसे द्वारा एक धर्म से किसी अन्य धर्म में ले जाने का प्रयास किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक से निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया रुकेगी और आने वाले समय में राजस्थान में सुधार आयेगा और राजस्थान में धर्म की रक्षा होगी।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्षः हो गया?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अभी तो बहुत बाकी है।

अंत में मैं एक बात कहता हूं कि धर्म कोई किताबों तक सीमित विचार नहीं है, वह तो एक शाश्वत जीवन शैली है, जिसमें सत्य, करुणा, निष्ठा और भक्ति की धारा बहती है, जिसे विद्वानों ने केवल इस अवधारणा के साथ प्रकट किया है धर्मो रक्षति रक्षितः, यदि आप अपने धर्म की रक्षा करेंगे, तो कल धर्म भी हमारी रक्षा करेगा, धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री यूनुस खान। श्री हरिमोहन शर्मा। श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका आभार। यह सनातन धर्म चिरकाल से ही समन्वय, सहिष्णु और सर्वग्राहित रहा है। विस्तारवाद का, दूसरे धर्मों को नष्ट करने का, दूसरे धर्मावलंबियों को अपने में मिलाने का उदाहरण कभी सनातन संस्कृति में नहीं मिला और आज बड़ा दुःख हो रहा है, इतना महत्वपूर्ण विधेयक आज सदन में पास होने जा रहा है, परंतु आज हमारे प्रतिपक्ष के साथी किसी तरीके से इस विधेयक का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि शुरू से ही इनकी इसमें भूमिका संदिग्ध रही है। सदैव से इन्होंने धर्मांतरण को बढ़ावा देने का काम किया है, इसलिए आज भी ये उस जगह बोलने का दुस्साहस नहीं कर सकते। मैं आज माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो ऐसा महत्वपूर्ण बिल लेकर आये, जो देश के विभिन्न राज्यों में लागू हो चुका था, परंतु राजस्थान में आज तक लागू नहीं हुआ था, आज से राजस्थान में भी यह बिल लागू हो जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं कि धर्म में चिरकाल से हम विश्व गुरु रहे। स्वामी विवेकानन्द जी जब शिकागो में गये, तो हमारी उदार, सहिष्णु और सबके कल्याण की नीति के कारण सारे धर्मों ने स्वीकारा कि सबसे महान संस्कृति कोई है, तो वह हिन्दू संस्कृति है। सबका सहयोग करने वाली कोई संस्कृति है, तो वह हिन्दू संस्कृति है। परंतु इसी संस्कृति के ऊपर इसकी उदारता के चलते हुए 1000 साल मुगलों ने राज किया, 200 सालों तक ब्रिटिशों

ने राज किया और हमारी संस्कृति को तहस-नहस करने का प्रयास किया। हमारे पूजा स्थल तोड़ दिये गये। जिस प्रकार से शांति के साथ हमारे लोग अपने हिन्दू धर्म में देवी-देवताओं को पूजते थे, उनके मंदिरों को तहस-नहस करने का काम किया। जमात और बलात रूप से हमारे लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया। आज नोर्थ ईस्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा का दृश्य देखते हैं, तो दिल पीड़ा से भर जाता है। वहां पर अधिकांश, 75 परसेंट लोग आज ईसाई धर्म ग्रहण कर चुके हैं। ऐसे आदिवासी लोग जो आर्थिक स्थिति से टूटे हुए हैं, उनको आर्थिक रूप से प्रलोभन देकर, उन्हें ईश्वरीय शक्ति का गलत भय दिखाकर, भ्रम में रखकर उनके धर्म को परिवर्तन करके उन्हें ईसाई बना दिया गया। इसी प्रकार लव जिहाद के माध्यम से हमारी अबोध बालिकाओं के साथ विवाह करके, भ्रम में डालकर उनको मुसलिम बना दिया गया। इस प्रकार के दुष्कृत्यों को रोकने के लिये राजस्थान में इस बिल की आवश्यकता थी।

अध्यक्ष महोदय, हमारा हिन्दू धर्म सदैव से सबका साथ देने का काम करता रहा। यहां तक कि जब पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश में मुसलमानों में मारकाट मचाई, तो हमारे देश ने ही उनको शरण दी। पारसियों को शरण दी, यहूदियों को शरण दी। जो भी हमारे देश में आया, उसको शरण देने का काम भारत देश के देशवासियों ने किया। इतना उदार दिल होने के बाद भी आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान में जहां 24 प्रतिशत हिन्दू रहते थे, आज वहां 2 प्रतिशत हिन्दू भी पाकिस्तान में नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम जिस सर्वधर्म, सद्भाव, सर्वे संतु सुखिनः, सबके कल्याण का भाव लेकर चल रहे हैं। इसमें कुछ चीजें मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें धर्म शब्द के स्थान पर पंथ शब्द का उपयोग होना चाहिये। धर्म का अर्थ मूल रूप से कर्तव्य के लिये किया जाता है। जैसे माता-पिता की सेवा करना पुत्र धर्म, देश की सेवा करना राष्ट्र धर्म और राज्य की सेवा राज धर्म है, अतः पूजा पद्धति के वर्गीकरण के आधार पर पंथ शब्द अधिक उपयुक्त होगा।

धारा 2 (ड) में कपटपूर्ण साधन की परिभाषा में छद्म पहचान बढ़ाया जाना चाहिये। धारा 3 में नीचे से दूसरी पंक्ति में पहला शब्द संपरिवर्तन के पश्चात् नहीं करेगा एवं शब्दावली बढ़ाना आवश्यक है, अन्यथा यह केवल प्रयास का ही विषय रह जायेगा। संपरिवर्तन करने के लिये पश्चात् क्या होगा, यह स्पष्ट नहीं हो पायेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़)। श्री नरेन्द्र बुडानियां। श्री पितराम सिंह काला। श्री ललित मीना।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और राजस्थान के इस सदन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 1967 के बाद राजस्थान भी एक सौभाग्यशाली प्रदेश बनने जा रहा है और आज यह बिल इस सदन में पास होने जा रहा है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड और उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान में यह बिल कहीं न कहीं धर्मनिर्पेक्षता स्थापित करेगा। इस

बिल के माध्यम से सरकार और आम जन के बीच, जो गरीब तबका है, जिसके साथ धोखा, छल-कपट होता है, इससे उसको रक्षा मिलेगी। इसके साथ-साथ संस्कृति और सामाजिक सौहार्द भाव भी हमारे पूरे राजस्थान में बढ़ेगा। हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति के जो हमारे कमजोर भाई हैं, जो कई बार प्रलोभन में आकर अपना धर्म परिवर्तन कर लेते थे, उनको इस बिल के माध्यम से कहीं न कहीं रक्षा मिलेगी, उनके साथ न्याय होगा। इस बिल के माध्यम से पूरे राजस्थान में साम्प्रदायिक सद्भावना का संरक्षण होगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं इस सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि 2021 से आज 2025 तक इस राजस्थान में धर्मांतरण के नाम पर लगभग 24 मुकदमे दर्ज हुए हैं। आज तक ऐसे 13 मुकदमे पेंडिंग हैं, 7 में चालान हुआ है और 4 में अभी तक कोई नतीजा नहीं है। इस बिल में जो प्रारूप दिया गया है, इस प्रारूप में जो हमारे धर्म पुजारी हैं, इन पुजारियों का सूचना प्रारूप है। दूसरा माता-पिता का एक प्रारूप है। इस बिल से हमारे सभी लोगों को राजस्थान में लाभ मिलेगा। ....(व्यवधान).... मैं आज मुख्य मंत्री जी और इस सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बिल के माध्यम से राजस्थान के हमारे जनजाति के लोगों को, हमारे पिछड़े हुए डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, जहां धर्म परिवर्तन की घटनाएं लगातार होती रहती हैं, इस बिल से उनको लाभ मिलेगा। इस बिल के माध्यम से जो मैंने जनमत जानने का प्रस्ताव दिया था, उसे मैं वापस लेता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।

msk/rtm/09.09.25/1510/2k

श्री अध्यक्षः श्री अर्जुन लाल, चार मिनट में पूरा करिए।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 को हमारे मुख्य मंत्री जी ने रखा, इसके लिए सबसे पहले तो मैं उनका बहुत-बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और भारतीय का संविधान भी सभी धर्मों को मानने, अपनाने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, अन्यथा धर्म-संपरिवर्तन तो सदैव ही अनुचित है। जब रामायणकाल में श्रीलक्ष्मण पर शक्ति प्रहार किया गया और लंका में सुषेण नामक वैद्य को लाया गया तब उसने भगवान श्रीराम से कहा कि मैं रावण की लंका का वैद्य हूं और आप हमारे देश के दुश्मन हैं तो क्या मेरा आपकी मदद करना उचित है? यह तो अधर्म होगा। आप आज्ञा दें तो मैं अपना धर्म छोड़कर धर्म विरूद्ध कार्य करूं। तब भगवान श्रीराम ने सुषेण से कहा, जिस धर्म हेतु राज्य गया, पिताश्री का हरण हुआ, जिस धर्म हेतु भाई भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म की आन पर लक्ष्मण भी मर जाये तो मर जाये, लेकिन राम न देगा, धर्म छोड़ने की राय। अर्थात कैसी भी विकट परिस्थितियों में धर्म छोड़ना शास्त्रों के अनुसार अनुचित है। फिर भी आज जब देश सहित प्रदेश में विभिन्न कारणों, माध्यमों, मजबूरियों, प्रलोभन, छल-कपट, प्रपीड़न से धर्म-संपरिवर्तन करवाया जा रहा है, जो अनुचित है। इस हेतु राज्य सरकार ने सदन में विधिविरुद्ध

धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक प्रस्तुत किया है, जिसका मैं स्वागत करता हूं।

महोदय, मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जिस प्रकार छल से धर्म-संपरिवर्तन की घटनाएं घटित हो रही हैं, उसी प्रकार से समाज के सामने एक अन्य विकट समस्या है, जो भारतीय संस्कृति सहित पारिवारिक परम्परा को तार-तार कर रही है, जिसमें किसी भी परिवार द्वारा अपनी लाडली बिटिया को सम्पूर्ण लाड-प्यार के साथ पालन-पोषण कर बड़ा किया जाता है, लेकिन जब विभिन्न कारणों से, माध्यमों से, मजबूरियों से, प्रलोभन से, छलकपट से, प्रपीड़न से जब भ्रमित होकर परिजनों के खिलाफ वह घर से भागकर परिवार की मर्यादा को दरकिनार करते हुए प्रेम विवाह, लिव-इन-रिलेशनशिप जैसे कृत्य करती है और अपने ही भाई-बंधु, माता-पिता से जान का खतरा होने का परिवाद पेश करती है तो उस परिवार की प्रतिष्ठा को कितनी गहरी ठेस पहुंचती है। इस सदमे के कारण पूरे परिवार को आत्महत्या करने पर विवश होना पड़ता है। महोदय, मेरा मानना तो यह है कि कन्या भ्रूण हत्या का मूल कारण यही है। अतः मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जिस प्रकार विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक सदन में पेश किया है। इसके साथ में जो तीन अनुसूचियां हैं, उन अनुसूचियों को भी राज्य सरकार विधिविरुद्ध, अजातीय, सजातीय विवाह प्रतिषेध विधेयक बनाकर, जो युवक-युवतियां, पुरुष-महिलाएं घर से भागकर प्रेम-विवाह एवं लिव-इन-रिलेशनशिप जैसे कृत्य करते हैं, उसमें भी इस उक्त प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाये और जिला कलेक्टर को पूर्व सूचना देकर परिजनों से सत्यापित करवाकर उक्त ऐसे अवैध विवाह हेतु अनुमति मिलने पर ही मान्यता दी जाये। ऐसा प्रावधान विधेयक बनाकर सदन में प्रस्तुत करें। अतः सरकार से निवेदन है कि आज प्रस्तुत विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध बिल के लिए मैंने प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव भेजा, मैं उस प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्षः श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने हेतु जो प्रस्ताव दिया था, मैं उसको वापस लेता हूं। इसका उद्देश्य यह है कि विधि के विरूद्ध कोई भी अपना धर्म परिवर्तन करके, बच्चियां या व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करता है तो निश्चित रूप से यह परिवारों में ऐसा विघटन पैदा कर रहा है, जिसके लिए यह बिल लाया गया है। मैं उसकी सराहना करता हूं और अपने धर्म को मनाने, अपनाने और प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्रदत्त करता है। तथापि, अंतः करण और धर्म की स्वतंत्रता के वैयक्तिक अधिकार को धर्मांतरण के सामूहिक अधिकार अर्थान्वयन में विस्तारित नहीं किया जा सकता। ...(व्यवधान)...

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे।)

श्री अध्यक्षः महत्वपूर्ण विधेयक है, आप अपने स्थानों पर जायें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संपरिवर्तन करने

वाले व्यक्ति और संपरिवर्तित होना चाहने वाले व्यष्टि से समान रूप से सम्बन्धित होता है। तथापि, हाल ही में ऐसे कई उदाहरण सामने आये हैं, जहां सीधे-सादे व्यक्तियों को दुर्व्यपदेशन, गलत सूचना, बल, असम्यक् असर, प्रचार, प्रपीड़न, प्रलोभन या कपटपूर्ण साधनों द्वारा एक धर्म से किसी अन्य में संपरिवर्तित किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से सम्बन्धित विधि देश विभिन्न राज्यों में पहले से ही विद्यमान है, किन्तु राजस्थान में उक्त विषय पर कोई कानून नहीं था। इसलिए आप यह जो कानून लाये हैं, निश्चित रूप से मैं इसकी सराहना करता हूं। मैंने ये जो प्रस्ताव दिया है, उसको वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्षः श्री चन्द्रभान सिंह चौहान।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले मुख्य मंत्री श्री भजनलाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे यह धर्मांतरण वाला बिल लाये हैं। वास्तव में, जिस प्रकार का देश में वातावरण बना है, इस वातावरण के अनुसार इस बिल को लाना जरूरी था, क्योंकि बहुत सी ईसाई मशीनरीज पूरे देश में सक्रिय हैं। गरीबों को लोभ-प्रलोभन देकर बहुत-से इलाकों में हिन्दू लोगों को ईसाई बनाया गया है, इसलिए भी यह जरूरी है। पूरे देश में जिस प्रकार का लव-जिहाद वाला मामला हुआ है, इसके लिए भी यह बिल जरूरी है, क्योंकि जो 18-20 साल की मासूम बच्चियां होती हैं, उनको प्रलोभन देकर, उनके परिवार द्वारा समझाकर, उनका धर्म परिवर्तन करवाकर उनके साथ शादी की जाती है, वह भी गलत है। भारत शुरू से धर्म निरपेक्ष रहा है, पर जिस प्रकार का राजनीतिक वातावरण देश में बना है, ये जो अभी धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं या जिस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं, वे नहीं चाहते हैं कि इस देश में अच्छा वातावरण बने। क्योंकि हम सब लोगों की इच्छा है कि भारत हिन्दू राष्ट्र बने, ऐसी हम सब लोगों की कामना है। जिस प्रकार से हमारे सब लोग लग रहे हैं, आने वाले दिनों में भारत हिन्दू राष्ट्र भी बनेगा और यह ईसाई मशीनरी भी रुकेगी, लव-जिहाद भी रुकेगा। जो धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, इसलिए इस बिल को लाना जरूरी था। आने वाले दिनों में इस बिल पर सख्त से सख्त कार्यवाही हो और लव-जिहाद रुके, धर्म परिवर्तन रुके। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

mdp/rtm/09.09.25/15:20/2l

प्रश्न यह है कि राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2, श्री गोपाल शर्मा संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): अध्यक्ष महोदय, मैं आज उस ऐतिहासिक घड़ी में खड़ा हूं जब राजस्थान का इतिहास इस बात के लिए याद करेगा कि वह विधायक थे, जिन्होंने राजस्थान को ऊंचाई की राह पर आगे बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने राजस्थान को धर्म परिवर्तन से मुक्त करवाने का काम किया। इसके लिए मैं आदरणीय भजन लाल जी की सरकार को और आपके नेतृत्व में ये जो विधेयक लाया जा रहा है, उसका समर्थन करते हुए एक-दो बातें बताना चाहता हूं।

निजता तो एक बहाना है, वह जो पहरुर दबाने की बातें थी, उसको सामने लाने से बचाना है। यह जो पहरुर दबाने की बातें थी, रात को यहां पर धरना देते हैं और +++ की कोशिश करते हैं। उसके लिए कैमरे जरूरी हैं। आपके लिए कैमरे जरूरी हैं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं महात्मा गांधी के एक पत्र से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। 22 अप्रैल, 1932 को महात्मा गांधी ने प्रेमा बहन कंटक को एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा हमें दूसरों का धर्म बदलने के लिए निमंत्रण नहीं देना चाहिए। हालांकि अगर किसी ने अज्ञानतावश, मूर्खतावश और मजबूरी में अपना धर्म बदल लिया है तो ऐसे व्यक्ति को भूल सुधारने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। मैं भजन लाल जी सरकार को धन्यवाद देता हूं। जो घर वापसी का विषय लाया गया है। गांधी जी ने उसमें लिखा कि हमको इस बात को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह अपने मूल धर्म में लौटकर आये और उसको धर्म परिवर्तन नहीं माना जाना चाहिए।

आदरणीय स्पीकर साहब, 14 नवम्बर, 2022 को, सुप्रीम कोर्ट को आप लोग मानते है या नहीं? +++ सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 नवम्बर, 2022 को जबरन धर्मांतरण अत्यन्त गंभीर समस्या है, जो राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है और नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करती है। यह सुप्रीम कोर्ट ने लिखा।

आदरणीय स्पीकर साहब, सुप्रीम कोर्ट यही तक नहीं रुका। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं इन धर्म के आधार पर देश को बांटने वालों को, देश को बांटने के पक्ष में हाथ खड़े करने वाले जवाहर लाल नेहरू की पार्टी वालों को कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अनुच्छेद 25(1), संविधान का अनुच्छेद 25(1) धर्म प्रचार करने का अधिकार देता है, लेकिन यह किसी व्यक्ति का धर्म बदलने का अधिकार नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि धर्मांतरण का विषय पब्लिक आर्डर से जुड़ा हुआ है और राज्य सरकार को इसमें कानून बनाने का अधिकार है।

माननीय स्पीकर साहब, मैंने उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का..

श्री अध्यक्षः संक्षेप में कहें।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): सिर्फ पांच मिनट।

श्री अध्यक्षः दो मिनट में।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक का बिल पढ़ा। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि राजस्थान ने धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध बिल बनाते समय नये इतिहास का निर्माण किया है। राजस्थान का सबसे मजबूत बिल है। राजस्थान का बिल भारत के अन्दर धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए नयी पहल का काम करेगा। यह एक रोशनी दिखाने वाला बिल है।

आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बीएसएफ ने एक रिपोर्ट दी है 2018 में, उसमें बताया है कि राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में मजहबी तब्लीगी के नाम पर आने वाले विदेशी मौलानाओं के कारण डेमोग्राफिक असंतुलन बढ़ रहा है। स्थानीय आबादी में कट्टरता बढ़ी है और मैं हमारे माननीय सदस्य, जो चले गये होंगे, उनका समर्थन करके कहना चाहता हूं कि देश मूल संस्कृति से कट रहा है। ये बीएसएफ की रिपोर्ट है। इन पाकिस्तान बनाने वाले कांग्रेस के सदस्यों को मैं कहना चाहता हूं कि देश को मत बांटिए। +++ के चक्कर में मत पड़िए, +++ के चक्कर में मत पड़िए, इस +++ के चक्कर में मत पड़िए। ये लोग देश को बांटने वाले हैं। ये देश को बांटने वाले हैं और जो हमारे सदस्य धर्म परिवर्तन किये हुए हैं, श्रीमान रफीक खान और कागजी वगैरह, इनसे निवेदन करता हूं कि मूल धर्म में आइए, मूल धर्म में आइए।

श्री अध्यक्षः वापस ले लिया क्या? वापस लिया या नहीं लिया, नहीं तो वोटिंग कराऊं।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): मैंने संशोधन नहीं रखा है। वापस ले लिया। मैं बिल का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 से 5, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 से 5 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 से 5 स्वीकार किये गये।

Ans/rtm 15.30 2m 09.09.2025

खण्ड 6, श्री गोपाल शर्मा।

प्रश्न यह है कि खण्ड-6 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-6 स्वीकार किया गया।

खण्ड-7 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-7 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-7 स्वीकार किया गया।

खण्ड 8, श्री गोपाल शर्मा।

प्रश्न यह है कि खण्ड-8 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-8 स्वीकार किया गया।

खण्ड 9 से 18 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 से 18 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 9 से 18 स्वीकार किये गये।

अनुसूची-1, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है अनुसूची-1 स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची-1 स्वीकार की गई।

अनुसूची 2, श्री गोपाल शर्मा।

प्रश्न यह है अनुसूची-2 स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची-2 स्वीकार की गई।

अनुसूची 3, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है अनुसूची-3 स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची-3 स्वीकार की गई।

अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

जवाहर सिंह बेढ़म जवाब देंगे और प्रस्ताव भी करेंगे कि यह विधेयक पारित किया जाए।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष जी ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इतिहास में, आठ करोड़ की जनता प्रतिपक्ष के नेताओं को देख रही है। आज सबसे महत्वपूर्ण बिल

विचाराधीन था। ...(व्यवधान)...जिस पर सभी माननीय सदस्य भाग ले रहे हैं लेकिन कांग्रेस की संस्कृति, कांग्रेस के कुछ लोग धर्मान्तरण करवाने में नहीं चाहते हैं और धर्मान्तरण का कहीं ना कहीं पक्ष लेना चाहते हैं। इसीलिये आज ऐसे बिल पर भाग नहीं ले रहे हैं। बहाना बना रहे हैं। ...(व्यवधान)... हो-हल्ला कर रहे हैं। आज इतिहास में कांग्रेस का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी हाय-हाय ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः बैठिये। जवाहरसिंह बेढ़म। ...(व्यवधान)... आप बैठिये। जवाहरसिंह बेढम, आप शुरू करिये।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष जी, आज हम ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारे प्रदेश की एकता, सामाजिक समरसता और भविष्य से सीधा जुड़ा हुआ है। दुर्भाग्य इस बात का है कि विपक्ष के साथी ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करके एक छिपे हुए एजेंडे के तहत राजस्थान के महत्वपूर्ण बिल पर अपनी असहमति, यह इसलिये कि किसी वर्ग विशेष को खुश करने की इनकी नीयत.., और सनातन संस्कृति और भारतीय धर्म का एक तरह से इनके दिल और दिमाग में स्थान नहीं है।

मैं इस मौक़े पर कहना चाहूंगा कि हमारे देश के संविधान का अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। यह अधिकार मौलिक अधिकार है। आजादी के बाद हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को धर्म मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता दी है। लेकिन यह स्वतंत्रता उस बात की अनुमति नहीं देती कि किसी गरीब, दलित, आदिवासी, अशिक्षित, शोषित, वंचित व्यक्ति को लालच, प्रलोभन, भय या धोखे से अपना धर्म बदलने को मजबूर किया जाए। ...(व्यवधान)...

आज के इस बिल पर बहस के दौरान हमारे सदन के विद्वान साथियों ने कई सुझाव दिये, उन्होंने समर्थन किया। करीब 11 सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया। मैं सभी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं। उन्होंने इस बिल को पारित करने के लिये अपना समर्थन भी व्यक्त किया है। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष जी, यह हम ही नहीं कह रहे। इस देश के प्रमुख लोगों ने कई बार उल्लेख किया है। इस विषय पर संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है लेकिन जब धर्मान्तरण सामाजिक असमानता का साधन बन जाता है ...(व्यवधान)... राजनीतिक आर्थिक साधन बन जाता है तब यह समाज के लिये चिंता का विषय है। इसी विषय पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र जी मोदी ने कहा कि हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और अपनी पसंद से धर्म चुनने का अधिकार है, स्वतंत्रता है, लेकिन किसी को भी जबरन या प्रलोभन देकर धर्मान्तरण का अधिकार नहीं है।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी समय-समय पर उल्लेख किया गया है। रामायण की यह चौपाई कि जब-जब हो जब-जब हो धर्म की हानि, बाढहि असुर अधम

अभिमानी, इसको गौर से सुनिये। ...(व्यवधान)... जब-जब हो धर्म की हानि, बाढहि असुर अधम अभिमानी, तब-तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरे कृपानि सज्जन पीरा। महान ग्रंथ रामचरित मानस में इसका अर्थ बताया गया, उन्होंने कहा है कि पृथ्वी पर जब-जब धर्म का हनन प्रारम्भ होता है एवं असुरी शक्तियों में वृद्धि होती है तब-तब स्वंय ईश्वर को विविध शरीर धारण कर पृथ्वी पर आना पडा है। भारत की महान संस्कृति सर्व धर्म समभाव के आदर्श में विश्वास करने वाली है।

अध्यक्ष महोदय, विषय यह है कि धर्मान्तरण कानून की वर्तमान में क्यों आवश्यकता पड़ी। ...(व्यवधान)... किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन छल, कपट, धोखाधड़ी एवं लालच के परिणामस्वरूप नहीं हो। ऐसी विधि विभिन्न समुदायों के बीच संघर्ष एवं विभाजन को रोककर समाज में शांति एवं सदभाव बनाये रखने में सहायक हो। समाज के कमजोर वर्गों यथा दलित, शोषित, वंचित, जनजाति, महिला, दिव्यांग इत्यादि में संगठन और समायोजित तरीके से बड़े पैमाने पर होने वाले धर्मान्तरण से बचाने में कारगर सिद्ध हो। धोखाधड़ी से शादी, लव जिहाद जैसे मामले, इनको करके दूसरे व्यक्ति पर जबरन धर्मान्तरण के लिये दबाव डालने वाले प्रकरणों में उक्त विधेयक लागू होने पर रोक लगाने में मील का पत्थर साबित होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और कई न्यायालयों ने ...(व्यवधान)...

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: आप थक गये, अपनी सीटों पर जाइये।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): जबरन धर्मान्तरण के मामले को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में स्वीकार किया है, जिससे इस मुद्दे पर कानून निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई। मैं उल्लेख करूंगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्णय दिया 'Stainislaus Vs State of Madhya Pradesh' इसमें इन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया कि जबरन धर्मान्तरण गैर कानूनी है और दण्डनीय अपराध है। संविधान के अनुच्छेद में प्रचार का अर्थ, माननीय अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनुच्छेद 25 में प्रचार का अर्थ अपने धर्म सिद्धान्तों को प्रसारित या फैलाने का अधिकार है, न कि दूसरों का धर्मान्तरण कराने का अधिकार।

VPS-RTM-09.09.2025-15.40-2n

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे एवं भारी व्यवधान)

किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ऐसा करने से दूसरे की अंतरात्मा की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए। धर्मान्तरण के किसी भी प्रयास में सभी व्यक्तियों के बीच धार्मिक स्वतंत्रता की समानता का सम्मान किया जाना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह उल्लेख किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना एक निर्णय दिया और उन्होंने यह कहा कि अनुच्छेद 25 स्वेच्छा से और सार्वजनिक

व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। संविधान जबरन, भ्रामक या प्रलोभन आधारित धर्मान्तरण का संरक्षण नहीं करता। जैसे इनमें से कई लोग बीच में धर्मान्तरण कर गये थे, उसकी अनुमति नहीं देता।

इस विधेयक, इस विशेष मामले में अदालत ने उत्तरप्रदेश धर्मान्तरण विरोधी अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया था जहां आरोपी व्यक्तियों ने कथित तौर पर धर्मान्तरण के लिए धन और मुफ्त चिकित्सा देखभाल का इस्तेमाल किया था। उक्त कानून का उद्देश्य धार्मिक सहिष्णुता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को सुनिश्चित करना है। धर्मान्तरण राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सामाजिक सद्भाव के लिए एक गम्भीर खतरा है। समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर इस समस्या का समाधान करना होगा। धर्मान्तरण के खिलाफ संघर्ष भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय अस्मिता को बचाने का प्रश्न भी है। ...(व्यवधान)...

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे एवं भारी व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई पहली बार बिल नहीं लाया जा रहा है। देश के विभिन्न प्रदेशों में आवश्यकता होने पर और कानून बनाया गया और वह लागू भी है। राजस्थान में भी 2008 में हमारी जब सरकार थी, तब इस बिल को लाया गया। उसके बाद दुबारा फिर इस बिल को लाया गया और अब पुनः प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय भजन लालजी शर्मा साहब ने, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह महसूस किया कि राजस्थान में धर्मान्तरण की जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं, लोग मिशनरीज के रूप में आकर विभिन्न प्रकारों के प्रलोभन देकर धर्मान्तरण की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तो यहां सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार से हम अध्ययन करते हैं तो आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश पूजा या प्रार्थना स्थलों में अन्य धर्म का प्रचार निषेध अधिनियम, 2007 लागू है। तेलंगाना में तेलंगाना पूजा या प्रार्थना स्थलों में अन्य धर्म का प्रचार निषेध अधिनियम 2007 लागू है। हरियाणा में हरियाणा विधिविरुद्ध धर्म परिवर्तन निर्वारण अधिनियम, 2022 लागू है। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2019 लागू है। उत्तरप्रदेश में उत्तरप्रदेश विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 लागू है। अरुणाचल प्रदेश में धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 1978 लागू है। उत्तराखंड में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2018 लागू है और कर्नाटक में कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक, 2021 है। ...(व्यवधान)...

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे एवं भारी व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां से ये नेता, प्रतिपक्ष आते हैं, इनके जिले में ही कल-परसों अखबारों में भी छपा, उसकी एफ.आई.आर. दर्ज हुई, पुष्टि हो गयी, इनके इलाके में धर्मान्तरण की बहुत बड़ी घटना होती है, इनको चिन्ता नहीं है। इनको चिन्ता नहीं है कि

दलित वर्ग के लोगों को, उन कमजोर वर्ग के लोगों को मिशनरीज आ-आकर धर्म परिवर्तन करवा लेती है लेकिन इनको चिन्ता है अपने राजनीतिक अस्तित्व की। इनको चिन्ता है अपनी राजनीति कैसे बनी रहे। इनको चिन्ता है कि दिल्ली से राहुल गांधीजी का संदेश आ गया कि इस विधेयक पर आपको शामिल नहीं होना, आप जनता के बीच में एक्सपोज हो जाओगे इसलिए ये सदन की कार्यवाही को बाधित कराने का यह कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। वहां अभी की घटना है अलवर में, वहां पर एक घटना हुई, कार्यवाही हुई, उस पर गिरफ्तारी हुई है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप अपनी सीट से बोलो। अपनी सीट से बोलो। ...(व्यवधान)...

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): दूसरा प्रकरण बांसवाड़ा का है। मुझे तो यह अफसोस होता है कि इस सदन के कई व्यक्ति अपने आपको हिन्दू मानने से इंकार कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः जो बोलना हो, अपनी सीट पर जाकर बोलो।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): आज से दो तीन साल पहले मेरे विपक्ष के एक साथी ने यह कहा था कि मैं हिन्दू नहीं हूं। आज एक साथी बोले कि हम हिन्दू नहीं हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः सीट पर जाओ। ...(व्यवधान)...

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से इसको सोचना चाहिए कि ये लोग अपने आपको हिन्दू मानने से इनकार करते हैं। , ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः अपनी सीट पर जाएं।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): बांसवाड़ा का दूसरा प्रकरण, जहां अख़बार में छपा है कि हमारे आदिवासी लोगों को जबरन धर्मान्तरण करवाने का काम किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो एक नमूना है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप सीट पर जाओ, आपको सुनूंगा। सीट पर जाओ, सुनूंगा मैं। सीट पर जाओ तो सुनूंगा। सीट पर जाओगे तो सुनूंगा। सीट पर जाइये, सुनूंगा। पहले आप सीट पर जाओ। सीट पर जाओ। ...(व्यवधान)...

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो एक उदाहरण है। इस प्रदेश में जब इनका शासन काल था तो पहले एफ.आई.आर. ही दर्ज नहीं करवाते थे, उनको डराया धमकाया जाता था। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः मैं कार्यवाही देखूंगा तब होगा। उसमें होगा तो देखेंगे। कार्यवाही जब आयेगी, तब देखेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): आज कम से कम धर्मान्तरण का कहीं कोई मामला पाया जाता है तो उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करके कानून सम्मत कार्यवाही की जाती है और चूंकि आज यह जो धर्मान्तरण कानून ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप अपनी सीटों पर जाओ तो सुनूंगा। सीटों पर जाओ तो सुनूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): आज जो राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून जब पास हो जायेगा तो धर्मान्तरण करने वाले, कराने वाले लोगों के खिलाफ कानून के तहत कठोर कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। राज्य में गत 20 बीस वर्षों से धर्मान्तरण विरोधी कानून लाने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने अनेक बार प्रयास किया। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप अपनी सीटों पर जाओ। मैं न्याय करूंगा। सीट पर जाओ, मैं न्याय करूंगा। सीट पर जाओ, मैं न्याय करूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): प्रथम बार राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2006 राजस्थान विधान सभा द्वारा दिनांक 07 अप्रैल, 2006 को पारित किया गया लेकिन तत्कालीन महामहिम राज्यपाल महोदय ने राष्ट्रपति महोदय को भेज दिया। उसके बाद 2008 में 20 मार्च, 2008 को पुन: राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पेश किया गया, उसको भी राष्ट्रपति महोदय को भेज दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने उसमें अपनी राय दी और उन्होंने यह कहा कि धारा-5 में यह प्रावधान था कि यदि कोई व्यक्ति दूसरा धर्म परिवर्तित, ग्रहण करना चाहता है तो उसकी सूचना उक्त व्यक्ति द्वारा सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को दी जायेगी परंतु इसमें यह प्रावधान है इसलिए यह दूसरा बिल लाया गया।

राज्य सरकार ने राजस्थान विधान सभा में राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 पेश किया है। राज्य सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है परंतु यह भी सुनिश्चित करती है कि राज्य में विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन न हो। अगर कोई व्यक्ति या संस्था राज्य के आमजन में भय उत्पन्न करे या सद्भावना के विरुद्ध कार्य करे तो ऐसे व्यक्ति या संस्था को कठोर दंड से दंडित किया जाने का प्रावधान कर राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 राजस्थान विधान सभा में पुरस्थापित किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महाभारत में एक श्लोक का उल्लेख किया गया है। उन्होंने यह कहा है, भगवत गीता का यह श्लोक है-

"यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥

मैं तो यह कहूंगा कि भगवान श्रीकृष्ण ने यह उस समय कहा था कि हे अर्जुन, जब-जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब-तब मैं स्वयं अवतार लेकर प्रकट होता हूं। इन विपक्ष के साथियों को यह सोचना चाहिए कि धर्म की रक्षा के लिए प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी ने लाखों-करोड़ों जन-भावनाओं को ध्यान में रखकर इस विधेयक को सदन में लाने का काम किया है। हमको साधुवाद देना चाहिए था। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप प्रस्ताव करें।

विधेयक का पारण

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री शंकरसिंह रावत।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने धर्म-संपरिवर्तन के ऊपर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए आपका आभार। मैं यह निवेदन करता हूं कि राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री महोदय आदरणीय भजन लालजी ने जरूर इस समाज के ऊपर, इस सनातन धर्म के ऊपर कृपा करने के लिए इन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन जो हो रहे हैं इस कांग्रेस के शासन में, उनको रोकने के लिए यह बिल लाया गया है। मैं उनका बहुत-बहुत तेह दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार ये लोग जो सामने से बोल रहे हैं, ये धर्म-संपरिवर्तन के बिल के ऊपर अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। ये इस देश के अन्दर ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: तीन मिनट में कम्प्लीट करें। ...(व्यवधान)...

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): जिस प्रकार से जबरन धर्म परिवर्तन के लिए यह जो कांग्रेस के हमेशा कु-कारनामे रहे हैं इसी के लिए इनके ऊपर से यह संदेश होगा कि ये कांग्रेस के लोग, आज बिल पारित होगा, ये कैमरे के नाम पर चिल्ला रहे हैं।

ssy/rtm/09.09.2025/15.50/2o

इनका कैमरे का बहाना है। कभी अध्यक्ष जी के नाम पर बोलते हैं। इनकी असली पीड़ा इस धर्म परिवर्तन बिल के ऊपर है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार विजय नगर के अन्दर घटना हुई थी, धर्म परिवर्तन कराने के लिए कांग्रेस के पिछले कार्यकाल के अन्दर इनके सालेह मोहम्मद जी मंत्री थे, उनको एक व्यक्ति ने एप्लीकेशन दी और उस एप्लीकेशन के ऊपर इन्होंने समाज को, रावत समाज के साथ ...(व्यवधान)... समाज को इन्होंने अल्पसंख्यक के अन्दर लेने के लिए 50 रुपये के एफिडेविट के ऊपर दे दिया गया। ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट बना रहे हैं उनको बंद किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता की भावनाओं का आदर करते हुए वह यह बिल लाये हैं। मैं इसके लिए इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हुआ शुभकामना देता हूं। इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: श्री गुरवीर सिंह।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और सरकार को

धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हम राजस्थान के इतिहास के साक्षी बन रहे हैं कि एक ऐतिहासिक बिल आज सदन में पास किया जा रहा है। The Rajasthan Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Bill, 2025 को आज इस सदन से पास किया जा रहा है। मैं पूरे राजस्थान की जनता को बधाई देना चाहता हूं और इस नाचीज को जो कि पहली बार चुनकर आया है, 31 जुलाई, 2024 को पर्ची के माध्यम से इस विषय को उठाने का मौका मिला था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की भारत पाक सीमा से आता हूं। मैं उस पंजाब की धरती के पड़ोस से आता हूं जहां इस Unlawful Conversion से बार-बार वहां के मिशनरीज ने बड़ी तादाद में गरीब, दलित परिवारों का शोषण किया है। मैं सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं कि सितम्बर, 2023 में पूरे भारत में जहां 28278 चर्च थीं, आज मई, 2025 में 34405 चर्च बन गई हैं। अगर आंध्रा में देखा जाये तो 7073 नई चर्च बनी हैं। तमिलनाडु में यह संख्या 5517 है। तेलंगाना में 3054 है। केरल में आज 60 लाख आबादी क्रिश्चियन हो चुकी है। केरल की कुल आबादी का 18.4 प्रतिशत क्रिश्चियन हो चुकी है। नागालैंड में 88.72 और मेघालय में 74.59 प्रतिशत आबादी क्रिश्चियन हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष: हां बोलो। अपनी सीटों पर जाओ।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): अगर मैं 2011 की जनगणना की बात करूं तो पंजाब में 3 लाख क्रिश्चियन पापुलेशन थी। आज के ताजा हालात 2025 यह हैं कि जहां 3 लाख थी वहां 30 लाख पापुलेशन हो गई है। वहां 2 प्रतिशत की जगह 15 परसेंट आबादी बढ़ चुकी है। यह ना सिर्फ हमारे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को बदल रहा है बल्कि देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि समय रहते हुए राजस्थान की सरकार जागी। पूरे देश में इसकी जरूरत थी। आज क्रिश्चियन मिशनरीज की पूरे देश में 2800 वेबसाइट चल रही हैं। पूरे देश में उनके 1134 फेसबुक पेज चल रहे हैं। आज उनके इंस्टाग्राम के 485 हैंडल हैं। आज क्रिश्चियन्स के 1110 यू ट्युब चैनल्स हैं। यह सारा हमारे देश के लिए खतरा बना हुआ है।

श्री अध्यक्ष: अपनी सीटों पर जाओ। जो बात हो चुकी है ...(व्यवधान)...

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं और सदन को बताना चाहता हूं कि जो इनके प्रभारी हैं वे खुद मिशनरीज के नारे लगाते हैं। आज पंजाब के ट्रेंड की बात करूं तो 2011 से 2024 में जो तब्दीली आई है, तरनतारन में 2011 में पापुलेशन 12 हजार थी जो 2024 में 24200 हो गई है, 102 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जालंधर डिस्ट्रिक्ट में 2011 में 25 हजार की आबादी थी, आज 2024 में 90 हजार हो गई है, 260 परसेंट की वृद्धि हुई है। अमृतसर में 17 हजार की जगह 50 हजार हो गई है, 194 परसेंट की वृद्धि हुई है। ये हालात हमारे पड़ोस के राज्य के हैं।

आज राजस्थान पूरे देश में सबसे पहला राज्य बना है जो सबसे पहले इस पर अंकुश लगाने के लिए आगे आया है। दूसरे राज्य जो बिल लेकर आये हैं वहां इससे पहले बड़ी तादाद में Unlawful Conversion हो गया था। आज हम हमारी नई पीढ़ी को नई दिशा दे सकेंगे। मैं सारे सदन का धन्यवाद करता हूं। मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं कि आज आपने ऐतिहासिक बिल पेश करके एक नई लहर पैदा की है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्षः श्री बालमुकुन्दाचार्य।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं विकास पुरुष, आम जन की भावनाओं के अनुरूप कार्य करने वाले माननीय मुख्य मंत्री महोदय भजन लाल शर्मा जी को, हमारी कैबिनेट को, पूरी सरकार का धन्यवाद करता हूं। जिस बिल की मांग लगातार कई वर्षों से संपूर्ण राजस्थान के लोग कर रहे थे, जिस प्रकार से राजस्थान भर में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में अनगिनत संस्थाएं, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में जैसा अभी पिछले सदस्यों ने बताया कि यह बात सत्य है, संस्थाएं लोभ, लालच देकर इस प्रकार के कार्य निरंतर कर रही हैं। जबरदस्ती छल, कपट या प्रेम विवाह के जरिए धर्मांतरण कर हजारों बालिकाओं, युवतियों को नारकीय जीवन व्यतीत करने को मजबूर करने के कृत्य किये हैं इसमें राजस्थान विधिविरुद्ध संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 लाकर, एक ऐतिहासिक काम करके संपूर्ण समाज पर उपकार किया है। इससे निश्चित रूप से प्रेम विवाह, दोस्ती जैसे शब्द समाज में कलंकित होने से बच पायेंगे।

लोगों में इसके प्रति नकारात्मक माहौल बन गया था। चारों ओर यह चर्चा थी। मैंने खुद ने कई बच्चियों को लाइव करवाया, कई बच्चियों को पुलिस कर्मियों के पास, अधिकारियों के पास ले जाकर मिलवाया तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनका ब्रेनवाश करके, लालच देकर, वीडियो बनाकर धर्म परिवर्तन कराया गया। उनके साथ ज्यादती की गई। इस विधेयक की अति आवश्यकता थी, जो आप लोगों ने किया।

महोदय, दोस्ती जैसे शब्द समाज में कलंकित होने से बच जायेंगे, नहीं तो लोगों में इसके प्रति नकारात्मक माहौल बन गया था। आपने ना केवल कानून बनाया अपितु इसमें 7 साल से लेकर आजीवन कारावास, लाखों रुपयों तक के जुर्माने का जो प्रावधान रखा इसने निश्चित रूप से बदनीयती रखने वालों के लिए नाक में नकेल डालने जैसा काम किया है। इस कानून के फलस्वरूप अब कोई सामूहिक धर्मांतरण के बारे में भी विचार नहीं करेगा क्योंकि ऐसा करने वालों के लिए भी 20 साल कठोर सज़ा से लेकर उम्र कैद और 25 लाख रुपये तक का जुर्माना प्रस्तावित करना कानून में है। जो अपराधियों में एक भय बनायेगा।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्षः बैठो तो न्याय करूं ...(व्यवधान)... जो वादा किया था वह निभाओ तो न्याय करूं ...(व्यवधान)... वादा करके गये हो।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): यह बिल राजस्थान विधिविरुद्ध संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 विधान सभा में लाया गया है। इसके कानून बनने से कोई व्यक्ति या संस्था किसी व्यक्ति पर मिथ्या निरूपण, कपट पूर्वक लव जिहाद, बल पूर्वक अनुचित प्रभाव आदि का प्रयोग कर धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति अथवा संस्था ऐसा कृत्य करते हैं तो उन्हें कठोर दंड दिया जायेगा। अगर कोई व्यक्ति केवल विधिविरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से विवाह करता है तो ऐसा विवाह शून्य होगा। इस विधि में अपराध गैर जमानती संज्ञेय होंगे। यह अपने आप में ही मानवीय संवेदनाओं को पूर्ण करता है। जिसका मैं पुरज़ोर समर्थन करता हूं और सदन व सदन के नेताओं को धन्यवाद देता हूं। अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं।

महोदय, आज जो सुबह से यहां पर जिस प्रकार से माहौल बनाया जा रहा है, ना यह कोई कैमरे का माहौल है, ना किसी और का है, यहां सिर्फ एक ही कारण है कि कई लोग लव जिहाद के पक्ष में हैं। कई बहन, बेटियों को फंसाकर 3-3, 4-4 विवाह कर चुके हैं, वह कहीं न कहीं इस बिल को नहीं लाना चाहते। कई सनातनी बच्चियों को गुमराह करके, उनको लव जिहाद में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया है। यह उनके पक्ष वाले लोग हैं। कई मिशनरीज के पक्ष वाले लोग हैं। यह भारत में, राजस्थान में धर्मांतरण करवाया जा रहा है।

सनातनी संपूर्ण दुनिया में प्रेम, भाईचारे के लिए जाने जाते हैं और संपूर्ण दुनिया में एक संदेश देते हैं वसुधैव कुटुम्बकम का सर्वे भवन्तु सुखिनः का। भारत का सनातनी चाहता है कि पूरी दुनिया में सुख, शांति और समृद्धि हो। लेकिन कुछ लोग तलवार की नोक पर, बंदूक की नोक पर किस प्रकार से धर्म परिवर्तन करवायें, मुगल काल, अंग्रेज काल में अपन ने देखा कि किस प्रकार से धर्म परिवर्तन कराया गया। इसी प्रकार से आज लोभ, लालच देकर कई संस्थाएं, मिशनरीज काम कर रही हैं। कई संस्थाएं और उन संस्थाओं के प्रतिनिधि लव जिहाद में बच्चियों को फंसाकर, बहन, बेटियों को फंसाकर उनके साथ अत्याचार, पापाचार कर रहे हैं।

spp/rtm/09.09.2025/16.00/2p

ये लोग उन लव जिहादियों का समर्थन कर रहे हैं, जिन्होंने तीन-तीन, चार-चार विवाह सनातनी बहनों और बच्चियों को फंसाकर किये हैं। उनके साथ ब्लैकमेल का काम किया है। यह उन लोगों का समर्थन करने वाले लोग हैं। मैं इस बिल के पक्ष में हूं और पूर्णतः समर्थन करता हूं और आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद करता हूं।

श्री अध्यक्षः श्री अशोक कोठारी।

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आभार। राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण विधेयक है। इस विधेयक को बहुत पहले ही आ जाना था। इस विधेयक के आने से सुंदर और श्रेष्ठ समाज का निर्माण होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का हम

स्वागत और आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही, हमारे देश की संस्कृति धरती की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, जहां ऋषि-मुनियों का देश है और प्रत्येक प्राणी अपने संस्कार अपने साथ लेकर आता है और संस्कारों से ही स्वभाव का निर्माण होता है। स्वभाव में जीने से धरती का विकास और अध्यात्म का विकास तेजी से होता है। इसीलिये प्रलोभन और भय से किसी को भी धर्म परिवर्तन नहीं करवाना चाहिये। साथ ही इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विपक्ष का भाग न लेना भी बहुत ही आश्चर्यजनक है और लगता है अपने दायित्व का अच्छे से पालन नहीं कर रहे हैं। आगे से अच्छे से पालन करें। सरकार से विधेयक को पारित करने का स्वागत करते हैं, अनुशंसा करते हैं। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 पारित किया गया।

सदन की बैठक दिनांक 10 सितम्बर, 2025 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.02 बजे बुधवार, दिनांक 10 सितम्बर 2025 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)